भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय–1	**सामान्य**	**1**
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	2
1.3	संग्रह की लागत	3
1.4	व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	3
1.5	संग्रह का विश्लेषण	5
1.6	राजस्व के बकाये	5
1.7	लेखा परीक्षा के परिणाम	6
1.8	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	6
अध्याय–2	**व्यापार कर**	**9**
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	9
2.2	विशेष अनुसंधान शाखा की कार्यप्रणाली तथा राजस्व संग्रह पर उसका प्रभाव	9
2.3	व्यापार कर विभाग में अर्थदण्ड के आरोपण एवं उसकी वसूली	15
2.4	माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण	21
2.5	गलत दर लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण	22
2.6	केन्द्रीय बिक्रीकर का कम आरोपण	24

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.7	गलत कर मुक्ति	24
2.8	कर की गणना में त्रुटि	25
2.9	क्रय कर का अनारोपण	26
2.10	गलत रियायत देने के कारण कर का अवनिर्धारण	26
2.11	घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग	27
2.12	टर्न ओवर छूट जाने से कर का अवनिर्धारण	28
2.13	अन्य अनियमितातायें	29
अध्याय–3	**राज्य आबकारी**	**31**
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	31
3.2	शीरा से शराब का कम उत्पादन	31
3.3	पुनर्आसवन से शुल्क की हानि	32
3.4	बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी शुल्क का न वसूल किया जाना	32
3.5	बिलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	33
3.6	स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना	34
अध्याय–4	**वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**	**35**
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	35
4.2	यात्री वाहनों से अतिरिक्त यात्रीकर का कम वसूल किया जाना	35
4.3	प्रक्रम वाहनों पर अतिरिक्त कर का कम आरोपण	36
4.4	अतिरिक्त कर (यात्रीकर) का निर्धारण/ वसूली न किया जाना	36

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय–5	**स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस**	**39**
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	39
5.2	भूमि के अवमूल्यांकन /गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क का कम आरोपण	39
अध्याय–6	**भू–राजस्व**	41
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	41
6.2	भू–राजस्व की भाँति बकाया देयों की वसूली	41
6.3	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	48
अध्याय–7	**अन्य कर प्राप्तियाँ**	**49**
(क)	**विद्युत शुल्क**	49
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	49
7.2	विद्युत शुल्क का न/ कम आरोपण किया जाना	49
(ख)	**मनोरंजन कर तथा बाजीकर**	50
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	50
7.4	आमोद कर का निर्धारण एवं संग्रह	50
अध्याय–8	**वन प्राप्तियाँ**	**59**
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	59
8.2	टिम्बर के वास्तविक उत्पाद पर रायल्टी की वसूली न किया जाना	59
8.3	राजस्व की वसूली न किया जाना	60

8.4	वृक्षों का अवैध पातन	61
8.5	जब्त प्रकाष्ठों को कम पाये जाने कारण राजस्व की वसूली का न किया जाना	61

अध्याय–9 अन्य विभागीय प्राप्तियाँ **63**

(अ) सिंचाई विभाग 63

9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	63
9.2	निक्षेप कार्यों पर सेण्टेज प्रभार का अनारोपण	63

(ब) लोक निर्माण विभाग 64

9.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	64
9.4	निक्षेप कार्यों पर सेण्टेज प्रभार का न/कम लगाया जाना	64

(स) वित्त विभाग 65

9.5	दण्डात्मक ब्याज का न लगाया जाना	65

अनुलग्नक

अनुलग्नक 'क'	कुछ अनुरक्षण शुल्कों पर मनोरंजन कर की वसूली न किये जाने का विवरण	66
अनुलग्नक 'ख'	स्थायी सिनेमा के स्थान पर अन्तर्वर्ती/चल सिनेमा के रूप में मनोरंजन कर का निर्धारण किये जाने से कम वसूली का विवरण	68
अनुलग्नक 'ग'	होटलों से अनुज्ञापन शुल्क, अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क एवं मनोरंजन कर का निम्न दर पर वसूल किये जाने का विवरण	70

प्राक्कथन

31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं बाजीकर, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को भी समाविष्ट करते हुए है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 2000–2001 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 28 प्रस्तर एवं 4 समीक्षाएं सम्मिलित हैं जिसमें कर, अभिकर, शुल्क ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/ कम आरोपण के 948.06 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। शासन ने 15.37 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर लिया, जिनमें 0.54 करोड़ रुपये की वसूली जून 2001 तक की जा चुकी है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:

1. सामान्य

- वर्ष 2000–2001 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व, दोनों कर (10979.97 करोड़ रुपये) तथा करेतर (1944.65 करोड़ रुपये) विगत वर्ष के दौरान 11412.65 करोड़ रुपये के विपरीत 12924.62 करोड़ रुपये रहा। कर राजस्व में व्यापार कर (5436.52 करोड़ रुपये) तथा राज्य आबकारी (2238.53 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ही प्रमुख अंश (69.9 प्रतिशत) रही। करेतर प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियाँ ब्याज प्राप्तियाँ (525.17 करोड़ रुपये) अलौह धातु उत्खनन एवं धातुकर्म उद्योग (196.44 करोड़ रुपये) वानिकी एवं वन्य जीवन (76.86 करोड़ रुपये) थी।

- वर्ष 2000–2001 के दौरान कर राजस्व में विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 16.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी रही एवं करेतर राजस्व में 3.3 प्रतिशत की घटत रही।

(प्रस्तर 1.1)

- वर्ष 2000–2001 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में 1632.33 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि आदि के 2629 मामलों का पता चला। वर्ष 2000–2001 के दौरान सम्बन्धित, विभागों ने 60.99 करोड़ रुपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण आदि के 704 मामले स्वीकार किये जिसमें से सन्निहित 1.92 करोड़ रुपये के 183 मामले वर्ष 2000–2001 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे।

(प्रस्तर 1.7)

- 5080.99 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि के 8504 निरीक्षण प्रतिवेदन 31 दिसम्बर 2000 तक निर्गत जिनमें 15867 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे जून 2001 तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.8)

2. व्यापार कर

- 16 वादों में छिपायी गई बिक्री की धनराशि 32.85 करोड़ रुपये के वाद परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्राप्ति के छः माह के बाद भी अनिस्तारित रहे।

(प्रस्तर 2.2.6)

- 65 वाद जिसमें 27.95 करोड़ रुपये का कर सन्निहित था, विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर लम्बित थे तथा विभाग द्वारा सृजित कुल माँग 228.88 करोड़ रुपये के विरुद्ध केवल 54.17 लाख रुपये की वसूली की गयी अवशेष धनराशि 228.33 करोड़ रुपये अभी बकाया है।

(प्रस्तर 2.2.7)

- 394.97 करोड़ रुपये मूल्य के माल के हस्तान्तरण/ परेषण की बिक्री पर सन्निहित कर के 39.50 करोड़ रुपये के 249 मामले सत्यापन हेतु लम्बित थे।

(प्रस्तर 2.2.8)

- छिपाये/ दबाये हुए विक्रय धन पर 18 मण्डलों एवं 15 खण्डों में व्यापारी 4.55 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.6)

- गलत प्रमाण–पत्र/ घोषणापत्र प्रस्तुत करने के कारण 11 मण्डलों एवं 1 खण्ड में व्यापारी 4.17 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.7)

- कच्चे माल के दुरूपयोग के लिए 8 मण्डलों एवं 2 खण्डों में व्यापारी 20.52 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.10)

- अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर गलत दर से फार्म सी या डी पर घोषणापत्र के परिणामस्वरूप 13.75 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 2.6)

- विभाग द्वारा गणना की त्रुटि के कारण 5.85 करोड़ रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

{(प्रस्तर 2.8(अ)}

3. राज्य आबकारी

- स्प्रिट के पुनर्आसवन से बेहतर गुणवत्ता वाली निर्मित आइ0एम0एफ0एल0 हेतु उच्चतर दर के अभाव के कारण 23.06 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व की क्षति हुयी।

(प्रस्तर 3.3)

- करार पर स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के कारण शासन को 15.69 करोड़ रुपये की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 3.6)

4. भू–राजस्व

- बिना पर्याप्त प्रलेखों के वसूली प्रमाण–पत्र लिये जाने के फलस्वरूप शासन को 153.68 करोड़ रुपये से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 6.2.6)

- जिलाधिकारियों द्वारा भेजे गये वसूली प्रमाण–पत्रों का तहसीलदारों द्वारा गणना न किये जाने के परिणामस्वरूप शासन को 25.84 करोड़ रुपये की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 6.2.7)

- 287.10 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्रों का पर्याप्त परिवीक्षण (मानीटर्ड) न किये जाने के कारण शासन को राजस्व क्षति हुयी।

(प्रस्तर 6.2.8)

- जमानतदारों के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया न अपनाये जाने के परिणामस्वरूप 112.11 करोड़ रुपये की प्राप्ति से शासन को वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 6.2.9)

- बकाये की वसूली हेतु कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप शासन को 124.41 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 6.2.11)

5. अन्य कर प्राप्तियाँ

- अनुरक्षण शुल्क के अस्वीकार्य एवं अप्रयुक्त धनराशि 15.36 करोड़ रुपये की वसूली न किये जाने के परिणामस्वरूप शासन को राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 7.4.6)

- स्थायी सिनेमा के स्थान पर अन्तर्वर्ती चल सिनेमा के रूप में निर्धारण किये जाने के कारण 2.61 करोड़ रुपये का आमोद कर कम प्रभारित किया गया।

{प्रस्तर 7.4.9(अ)}

- वीडियो सिनेमाओं से 1.16 करोड़ रुपये का कम आमोद कर लिया गया।

{प्रस्तर 7.4.9(ब)}

- वीडियो होटलों से अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किये जाने तथा आमोद कर की कम वसूली किये जाने से शासन को 1.92 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 7.4.10)

6. वन प्राप्तियाँ

- 2 वन प्रभागों से वास्तविक काष्ठ (टिम्बर) के उत्पाद पर रायल्टी की वसूली न किये जाने से शासन को 2.48 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 8.2)

- वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बृक्षों का अवैध पातन न रोक पाने के कारण 1.30 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 8.4)

अध्याय–1 : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

	1998–99	1999–2000	2000–2001[1]
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क) कर राजस्व	7912.31	9400.91	10,979.97
(ख) करेतर राजस्व	1475.06	2011.74	1944.65
योग	9387.37	11,412.65	12,924.62
II. भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क) विभाज्य संघीय अंश करों में राज्य का भाग	5768.92	7478.90	9045.47[2]
(ख) सहायक अनुदान	2222.40	2603.57	2773.18
योग	7991.32	10,082.47	11,818.65
III. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I + II)	17,378.69	21,495.12	24,743.27
IV. I से III की प्रतिशतता	54	53	52

(i) वर्ष 2000–2001 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1998–99	1999–2000	2000–2001	1999–2000 के सन्दर्भ में 2000–2001 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1999–2000 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. व्यापार कर	3377.89	3703.59	5436.52	(+) 1732.93	(+) 46.79
2. राज्य आबकारी	1631.34	2126.33	2238.53	(+) 112.20	(+) 5.28
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1031.78	1177.57	1269.75	(+) 92.19	(+) 7.83
4. मोटर स्प्रिट और स्नेहकों की विक्री पर कर	1008.76	1359.31	586.39	(–) 772.92	(–) 56.86
5. माल एवं यात्रियों पर कर	238.18	100.26	85.81	(–) 14.44	(–) 14.40
6. वाहनों पर कर	211.30	512.10	543.08	(+) 30.98	(+) 6.05
7. गन्नें के क्रय पर कर	71.02	36.35	95.45	(+) 59.10	(+) 162.59
8. विद्युत पर कर एवं शुल्क	100.85	126.41	136.30	(+) 9.89	(+) 7.82
9. भू–राजस्व	88.34	116.09	69.85	(–) 46.24	(–) 39.83
10. आय और व्यय पर अन्य कर	शून्य	0.56	0.00	0.00	0.00
11. कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	0.01	1.16	9.22	(+) 8.06	(+) 694.83
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	136.87	135.89	504.58	(+) 368.69	(+) 271.32
13. अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगम कर आदि)	15.97	5.29	4.49	(–) 0.80	(–) 15.12
योग	**7912.31**	**9400.91**	**10,979.97**	**(+) 1579.62**	**16.79**

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (नवम्बर 2001), प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2003)।

1 नवम्बर 2000 में उत्तराँचल राज्य को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया।

2 विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2000–2001 के वित्त लेखों में 'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या – 11' देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक–कर राजस्व के अन्तर्गत 0021–निगम कर से भिन्न आय पर राज्यों को समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

(ii) वर्ष 2000–2001 के लिये करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती दो वर्षो के आँकड़ों के साथ निम्नांकित सारिणी में दर्शायें गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1998–99	1999–2000	2000–2001	1999–2000 के सन्दर्भ में 2000–2001 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1999–2000 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवाएं	96.78	126.80	55.48	(–) 71.32	(–) 56.25
2. ब्याज प्राप्तियाँ	428.00	476.68	525.17	(+) 48.49	(+) 10.17
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	125.91	160.52	76.86	(–) 83.66	(–) 52.12
4. बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	49.13	40.16	282.13	(+) 241.97	(+) 602.51
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	101.34	137.63	177.24	(+) 39.61	(+) 28.78
6. अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	102.58	103.70	61.51	(–) 42.19	(–) 40.68
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	145.81	180.17	196.44	(+) 16.27	(+) 9.03
8. पुलिस	74.84	53.17	85.29	(+) 32.12	(+) 60.41
9. क्रॉप हस्बेन्ड्री	17.53	16.51	58.36	(+) 41.85	(+) 253.48
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.16	26.37	23.53	(–) 2.84	(–) 10.77
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	33.02	34.97	31.74	(–) 3.23	(–) 9.23
12. लघु सिंचाई	35.09	36.61	18.96	(–) 17.65	(–) 48.21
13. सड़क एवं सेतु	22.06	24.30	29.93	(+) 5.63	(+) 23.17
14. लोक निर्माण	21.90	26.77	26.94	(+) 0.17	(+) 0.64
15. सहकारिता	4.62	17.76	6.54	(–) 11.22	(–) 63.18
16. अन्य	199.29	549.62	288.53	(–) 261.09	(–) 47.50
योग	**1475.06**	**2011.74**	**1944.65**	**(–) 67.09**	**(–) 3.33**

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (नवम्बर 2001), प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2003)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 2000–2001 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता निम्नांकित सारिणी में दी गयी है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1. व्यापार कर	4900.00	5436.52	(+) 536.52	(+) 10.95
2. राज्य आबकारी	2500.00	2238.53	(–) 261.47	(–) 10.46
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1472.42	1269.75	(–) 202.67	(–) 13.76
4. मोटर स्प्रिट और स्नेहकों की विक्री पर कर	1400.00	586.39	(–) 813.61	(–) 58.12
5. माल एवं यात्रियों पर कर	453.68	85.81	(–) 367.87	(–) 81.08
6. वाहनों पर कर	275.17	543.08	(+) 267.91	(+) 97.36
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, मनोरंजन कर	151.69	504.58	(+) 552.89	(+) 232.64
8. गन्नें के क्रय पर कर	75.00	95.45	(+) 20.45	(+) 27.26

1	2	3	4	5
9. विद्युत पर कर एवं शुल्क	157.00	136.30	(–) 20.70	(–) 13.18
10. भू–राजस्व	90.00	69.85	(–) 20.15	(–) 22.39
(ख) करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवाऐं	70.00	55.48	(–) 14.52	(–) 20.74
2. ब्याज प्राप्तियाँ	437.97	525.17	(+) 87.20	(+) 19.91
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	262.79	76.86	(–) 185.93	(–) 70.75
4. बृहत एवं मध्यम सिंचाई	234.65	282.13	(+) 47.48	(+) 20.23
5. शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	195.45	177.24	(–) 18.21	(–) 9.32
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	200.00	196.44	(–) 3.56	(–) 1.78

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (नवम्बर 2001), प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2003)।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा वर्ष 2000–2001 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 1999–2000 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से	वर्ष 1999–2000 के लिए अखिल भारतीय औसत
1	2	3	4	5	6
व्यापार कर	1998–99	3377.89	80.51	2.4	1.56
	1999–2000	3703.59	133.05	3.6	
	2000–2001	6059.47	135.62	2.2	
वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	1998–99	449.48	14.21	3.2	3.56
	1999–2000	612.36	0.18	0.03	
	2000–2001	641.00	10.57	1.6	
राज्य आबकारी	1998–99	1631.34	24.48	1.5	3.31
	1999–2000	2126.33	24.16	1.1	
	2000–2001	2237.75	28.09	1.3	
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	1998–99	1031.78	13.71	1.3	4.62
	1999–2000	1177.57	20.80	1.8	
	2000–2001	1268.86	25.56	2.01	

1.4 व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(क) कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक के लिये वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1996–97	5,62,847	5,26,778	10,89,625	4,86,648	6,02,977	44.70
1997–98	6,69,353	4,51,315	11,20,668	7,30,551	3,90,117	65,19
1998–99	4,42,379	4,66,899	9,09,278	4,89,535	4,19,743	53,84
1999–2000	4,57,508	4,89,838	9,47,346	4,89,357	4,57,989	51.66
2000–2001	4,57,989	4,61,697	9,19,686	4,90,853	4,28,833	53.37

यह देखा गया कि वर्ष 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 के अन्त शेष से अनुवर्ती वर्षों के आदिशेष में भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह भिन्नता अन्य विभागों से वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं त्रुटियों के सुधार के कारण हैं। विभाग को अभिलेखों के रख रखाव की प्रणाली ठीक करने की आवश्यकता है जिससे कि आकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

वर्ष 1996–97 से 2000–2001 के दौरान निष्पादन हेतु नियत अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों तथा व्यापार कर विभाग द्वारा निस्तारित मामलों के साथ ही साथ वर्ष 2000–2001 के अन्त में अवशेष अपील एवं पुनरीक्षण मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है निम्न सारिणी में दर्शित है:

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
अपील के मामले						
1996–97	56,879	42,166	99,045	32,913	66,132	33
1997–98	66,132	48,794	1,14,926	54,932	59,994	48
1998–99	59,994	61,931	1,21,925	61,339	60,586	50
1999–2000	60,586	55,194	1,15,780	64,168	51,612	55
2000–2001	51,612	46,876	98,488	58,905	39,583	60
पुनरीक्षण के मामले						
1996–97	61,894	8444	70,338	13,226	57,112	19
1997–98	57,112	9544	66,656	16,609	50,047	25
1998–99	50,047	14,225	64,272	14,856	49,414	23
1999–2000	49,414	सूचनाएँ अप्राप्त				
2000–2001	विभाग द्वारा सूचनाएँ प्राप्त नहीं की गई					

(ii) 31 मार्च, 2001 को लम्बित अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	31 मार्च 2001 को लम्बित अपील के मामले
1998 तक	314
1999	2370
2000	26787
2001	10112
योग	**39583**

1.5 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 2000–2001 के दौरान व्यापार कर के सकल संग्रह का विवरण (पूर्व निर्धारण के स्तर पर यथा नियमित निर्धारण के पश्चात्) तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों के साथ जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, सारणी में नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूर्व निर्धारण के स्तर पर संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संग्रहीत धनराशि	वापसी की धनराशि	कर की शुद्ध संग्रह	कॉलम 2 की 5 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1998–99	3211.84	190.51	24.46	3377.89	95
1999–2000	3732.35	107.33	55.04	3784.74	98
2000–2001	5934.99	124.48	37.44	6022.03	98

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2001 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था निम्न प्रकार थी:

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	
1	2	3	4	5
1	व्यापार कर	6906.35	उपलब्ध नहीं है	6906.35 करोड़ रुपये में से 899.29 करोड़ रुपये के लिए मांग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 136.48 करोड़ रुपये एवं 38.63 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 130.15 करोड़ रुपये की वसूली त्रुटि सुधार पुनः विचार प्रार्थना पत्रों के कारण रुकी हुई थी। 1243.74 करोड़ रुपयों की मांग को अपलिखित होने की सम्भावना थी, 4458.06 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गई सुनिश्चित कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
2.	गन्ने पर क्रय कर (चीनी मिलें)	26.35	शून्य	26.35 करोड़ रुपये में से 1.36 करोड़ रुपये की मांग भू–राजस्व के बकाये की मांग की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गई थी। 0.53 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। 24.46 करोड़ रुपये के अवशेष बकाएँ के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

1	2	3	4	5
	वानिकी एवं वन्य जीवन	13.12	उपलब्ध नहीं	13.12 करोड़ रुपये में से 7.97 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व की बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.33 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 0.03 करोड़ रुपये की मांग को अपलिखित होने की संभावना थी। 0.6 करोड़ रुपये जमानत जमा के विरुद्ध समायोजित किये गये थे। 4.73 करोड़ रुपये के अवशेष बकाएँ के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्यवाही की विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया था।
4	मनोरंजन कर	6.05	3.16	6.05 करोड़ रुपये में से 1.11 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये की भाँ ति वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 3.92 करोड़ रुपये एवं 0.54 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 0.48 करोड़ रुपये के अवशेष हेतु की गई कार्यवाही से विभाग ने अवगत नहीं कराया।
5.	राज्य आबकारी	83.97	शून्य	83.97 करोड़ रुपये में से 10.17 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 71.57 करोड़ रुपये न्यायालय द्वारा स्थगित था तथा 2.23 करोड़ रुपये के बकायेदार दिवालिया घोषित थे।
6.	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	115.79	उपलब्ध नहीं	115.79 करोड़ रुपये में से 73.99 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व की बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 41.80 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने का क्रय पर कर, मनोरंजन कर, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं वन प्राप्तियाँ आदि के अभिलेखों की नमूना जाँच से 2629 मामलों में 1632.33 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/ कम आरोपण राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2000–2001 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 704 मामलों में 60.99 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 1.92 करोड़ रुपये 2000–2001 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित

28 प्रस्तर तथा 4 समीक्षाएं हैं जिसमें 1209.23 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है विभाग/ सरकार ने 511 मामलों में 15.37 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि को स्वीकार कर लिया है जिसमें से जून 2001 तक 0.54 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई थी। अवशेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पाई गई कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 2000 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिविदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून 2001 तक विभागों द्वारा लम्बित था। साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(जून माह के अन्त तक)

क्रम सं.		1999	2000	2001
1.	जून तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	6429	7300	8504
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	14,565	14,709	15,867
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	1646.51	1828.98	5080.99

जून 2001 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विभाजन नीचे दिया गया है:

क्रम. सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है
1	2	3	4	5	6
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	861	1804	1322.95	1990–91 से 2000–2001
2	व्यापार कर	2683	5171	3351.01	1984–85 से 2000–2001
3	सिंचाई	306	685	82.74	1984–85 से 2000–2001
4	राज्य आबकारी	528	719	124.54	1984–85 से 2000–2001
5	भू–राजस्व	831	1274	31.51	1987–88 से 2000–2001
6	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	672	2011	36.22	1984–85 से 2000–2001
7	लोक निर्माण	305	640	22.53	1984–85 से 2000–2001
8	गन्ने के क्रय पर कर	72	84	11.24	1985–86 से 2000–2001
9	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1482	2337	59.96	1983–84 से 2000–2001
10. अन्य विभाग					
क	कृषि	163	300	14.75	1984–85 से 2000–2001
ख	विद्युत शुल्क	307	376	11.29	1988–89 से 2000–2001
ग	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	80	155	0.69	1984–85 से 2000–2001
घ	सहकारिता	88	109	5.78	1984–85 से 2000–2001
ड़	मनोरंजन कर	126	202	5.78	1986–87 से 2000–2001
योग		**8504**	**15867**	**5080.99**	

इसे शासन के संज्ञान (अक्टूबर 2001) में लाया गया था। अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (दिसम्बर 2001)।

अध्याय–2 : व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जाँच में 1080 मामलों में 534.86 करोड़ रुपये के कम करारोपण तथा अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण तथा कम आरोपण एवं कर की अनियमित छूट आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ ब्याज का अनारोपण या कम आरोपण	457	459.44
2.	अनियमित छूट	166	1302.16
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	38	66.17
4.	कर की गलत दर	213	581.34
5.	माल का गलत वर्गीकरण	44	1965.46
6.	आवर्त्त (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	06	0.36
7.	केन्द्रीय बिक्रीकर से सम्बन्धित अनियमिततायें	23	108.13
8.	कम कर का लगाया जाना	46	639.61
9.	अन्य अनियमिततायें	85	14,506.01
10.	(i) 'विशेष अनुसंधान शाखा की कार्यप्रणाली तथा राजस्व संग्रह पर उसका प्रभाव' पर समीक्षा (ii) 'व्यापार कर विभाग में 'अर्थदण्ड' का आरोपण एवं उसकी वसूली पर' समीक्षा	01 01	30,081.0.0 3776.00
	योग	1080	53,485.68

वर्ष 2000–2001 के दौरान विभाग ने 110 मामलों में 46.79 लाख रुपये कर कम लगाया जाना स्वीकार किया है, जिसमें 101 मामले, जिनकी आच्छादित धनराशि 37.04 लाख रुपये रही, वर्ष 2000–2001 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किये गये थे। इनमें से 37 मामलों में निहित धनराशि 7.40 लाख रुपये की वसूली मार्च 2001 तक हो चुकी थी।

कुछ निदर्शी मामले एवं 2 समीक्षा में जिसमें 105.66 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

2.2 'विशेष अनुसंधान शाखा की कार्यप्रणाली तथा राजस्व संग्रह पर उसका प्रभाव' पर समीक्षा

2.2.1 प्रस्तावना

व्यापार कर जिसे अन्य राज्यों में बिक्रीकर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है, जो कि कुल कर राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत है। यह उत्तर प्रदेश

व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0 व्या0 क0 अधि0) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के0बि0क0अधि0) के अन्तर्गत आरोपित तथा संग्रहीत किया जाता है।

राज्य में व्यापार करापंवचन को रोकने के लिए व्यापारी के व्यापार स्थल पर प्रवेश तथा निरीक्षण का अधिकार तथा व्यापारी की लेखा पुस्तकों के अभिग्रहण के अधिकारों का उत्तर प्रदेश कर अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है, इस प्रयोजन हेतु कमिश्नर व्यापार कर, ने विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) की स्थापना की है जिसमें 15 डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) शामिल है।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

विशेष अनुसंधान शाखा से सम्बन्धित सम्पूर्ण नियंत्रण तथा निर्देशन कमिश्नर, व्यापार कर उत्तर प्रदेश में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तराँचल राज्य को शामिल करते हुऐ राज्य को 15 प्रशासनिक परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक परिक्षेत्र का डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) प्रधान होता है। अग्रेतर परिक्षेत्र को मण्डलों तथा खण्डों में विभाजित किया गया है जिसका कार्यभार क्रमशः असिस्टेन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) तथा व्यापार कर अधिकारी श्रेणी 1/2 (वि.अनु.शा.) के अधीन होता है।

2.2.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

विशेष अनुसंधान शाखा की कार्यप्रणाली अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1995–96 से 1999–2000 की अवधि से सम्बन्धित जुलाई 2000 से अप्रैल 2001 तक एक समीक्षा सम्पन्न की गयी। विशेष अनुसंधान शाखा की 41 इकाइयों में से 7 परिक्षेत्रों के अन्तर्गत 14 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

2.2.4 मुख्य अंश

- 16 वादों में छिपायी गई बिक्री की धनराशि 32.85 करोड़ रुपये के वाद परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्राप्ति के 6 माह के बाद भी अनिस्तारित रहें।

(प्रस्तर 2.2.6)

- 65 वाद जिसमें 27.95 करोड़ रुपये का कर सन्निहित था, विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर निस्तारण हेतु लम्बित थे और उनमें से विभाग द्वारा सृजित कुल माँग 228.88 करोड़ रुपये के विरुद्ध केवल 54.17 लाख रुपये की वसूली की गयी तथा अवशेष 228.33 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि की वसूली अभी तक नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.2.7)

- 249 मामलों में जिसमें 394.97 करोड़ रुपये मूल्य के माल के हस्तान्तरण/परेषण की बिक्री पर 39.50 करोड़ रुपये का कर सन्निहित था, वर्ष 1995–96 से सत्यापन हेतु लम्बित थे।

(प्रस्तर 2.2.8)

2.2.5 विशेष अनुसंधान शाखा के सर्वेक्षण से सम्बन्धित सांख्यकीय आँकड़ें

व्यापार कर नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक परिक्षेत्र अधिकारी (वि0अनु0शा0) द्वारा एक गोपनीय शिकायत रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें किसी व्यापारी के विरुद्ध किसी भी स्त्रोत से प्राप्त की गई करापवंचन सम्बन्धी सूचना अंकित किया जाना चाहिए। अग्रेतर विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा प्रत्येक जनपद के लिये अलग–अलग एक गोपनीय सूचना रजिस्टर भी रखा जाता है जिसमें बाजार क्षेत्र की सूची, बन्दी का दिन, संवेदनशील मुहल्लों का नाम, करापवंचन में आदतन लिप्त रहने वाले व्यापारी का नाम आदि विवरण अंकित रहता है। इन संकलित सूचनाओं के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारियों (वि0अनु0शा0) द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है।

व्यापार कर विभाग के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा विगत 5 वर्षो के दौरान राज्य के अन्दर किये गये सर्वेक्षण की स्थिति निम्नवत थी:

क्रम. सं.		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	योग
1.	विशेष अनुसंधान शाखा की इकाइयों की संख्या	20	41	41	41	41	
2.	कुल किये गये सर्वेक्षण	2822	3872	5113	5743	6727	24,277
3.	अभिग्रहीत अभिलेख	935	1147	1407	1462	1472	6423
4.	प्रतिकूल सर्वेक्षण	1349	1899	2525	2884	3466	12,123
5.	सामान्य सर्वेक्षण	538	826	1181	1397	1789	5731

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष प्रतिकूल सर्वेक्षण के सम्बन्ध में वृद्धि का रुझान था। विगत 5 वर्षो के दौरान किये गए 24277 सर्वेक्षणों में से 12123 (50 प्रतिशत) प्रतिकूल पाये गये अर्थात् उपरोक्त मामलों में कोई करापवंचन नहीं पाया गया। अग्रेतर, सर्वेक्षण के दौरान 6423 (26 प्रतिशत) व्यापारियों के अभिलेखों को अभिग्रहीत किया गया जो अर्थहीन थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण बिना पूर्ण तैयारी/गंभीरता से किये गये थे।

अग्रेतर यह तथ्य प्रकाश में आया कि 2 परिक्षेत्रों (आगरा तथा वाराणसी) में प्रतिकूल सर्वेक्षण का प्रतिशत 65.57 था जबकि इसके विरुद्ध पूरे प्रदेश में यह 50 प्रतिशत था। विवरण निम्नवत है:

क्रम. सं.	मण्डल का नाम	वर्ष	सर्वेक्षणों की कुल संख्या		योग	प्रतिकूल सर्वेक्षणों की संख्या		योग
			अप्रैल से दिसम्बर	जनवरी से मार्च		अप्रैल से दिसम्बर	जनवरी से मार्च	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
1.	आगरा 'अ' परिक्षेत्र	1995–96	117	27	144	108	27	135
		1996–97	90	63	153	72	42	114
		1997–98	85	47	132	71	45	116
		1998–99	67	47	114	62	42	104
		1999–2000	74	55	129	59	47	106
	योग		433	239	672	372	203	575

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	आगरा 'ब' परिक्षेत्र	1995–96	120	44	164	74	31	105
		1996–97	69	38	107	28	26	54
		1997–98	88	40	128	21	36	57
		1998–99	81	49	130	33	36	69
		1999–2000	100	45	145	36	34	70
	योग		**458**	**216**	**674**	**192**	**163**	**355**
3.	वाराणसी 'ब' परिक्षेत्र	1995–96	87	66	153	40	53	93
		1996–97	94	57	151	56	41	97
		1997–98	71	74	145	26	40	66
		1998–99	72	19	91	55	6	61
		1999–2000	49	17	66	24	9	33
	योग		**373**	**233**	**606**	**201**	**149**	**350**
	सकल योग		**1264**	**688**	**1952**	**765**	**515**	**1280**

यह देखा गया कि अधिकांश सर्वेक्षण वर्ष के अन्तिम तिमाही में जल्दबाजी में किये गये थे परिणामतः उनमें से अधिकांश सर्वेक्षण प्रतिकूल पाये गये।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2000) कि प्रतिकूल सर्वेक्षण की प्रतिशतता में वृद्धि उपयुक्त अभिलेखों के सर्वेक्षण प्रांगण में उपलब्धता के कारण थी इससे यह प्रदर्शित होता है कि विशेष अनुसंधान शाखा का सूचना तंत्र बहुत विश्वसनीय नहीं था।

2.2.6 कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वादों के निस्तारण में विलम्ब

व्यापार कर नियमावली के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी को विशेष अनुसंधान शाखा से सम्बन्धित वादों को परिक्षेत्र अधिकारी (वि0अनु0शा0) से प्राप्ति की तिथि से छः माह के अन्दर उच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कर देना चाहिए।

5 परिक्षेत्रों की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 16 वादों में सन्निहित 32.85 करोड़ रुपये के छिपाये गये टर्नओवर की धनराशि जिसमें प्रत्येक मामले में एक करोड़ या इससे अधिक की धनराशि सन्निहित थी, छः माह बाद भी अनिस्तारित पड़े रहे।

2.2.7 माँग की वसूली का न होना

उप कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा प्रतिवेदित अपवंचित मामलों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सृजित माँगे अपील में अभी भी निम्न विवरणों के अनुसार लम्बित हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्र का नाम	अपील के मामले सन्निहित		सृजित मांग	वसूल की गयी धनराशि	लम्बित धनराशि
		संख्या	धनराशि			
1.	आगरा	9	1466.60	6051.13	15.32	6035.81[1]
2.	इलाहाबाद	1	1.00	712.00	3.21	708.79[2]
3.	गाजियाबाद	8	91.48	3504.75	32.39	3472.36[3]
4.	कानपुर	24	508.62	3281.15	2.77	3278.38[4]
5.	लखनऊ	3	107.07	1701.06	– –	1701.06[5]
6.	मेरठ	2	78.13	2568.38	0.48	2567.90[6]
7.	वाराणसी	18	542.32	5069.17	– – –	5069.17[7]
	योग	**65**	**2795.22**	**22887.64**	**54.17**	**22833.47**

65 मामलों में निहित कर 27.95 करोड़ रुपये विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के यहाँ सितम्बर 1995 से मार्च 2000 तक लम्बित थे। विभाग त्वरित कार्यवाही करने में असमर्थ रहा जिससे व्यापारियों को अनुचित लाभ मिला। 228.88 करोड़ रुपये कुल सृजित माँग में से केवल 54.17 लाख की वसूली की गयी जो कि नगण्य है।

2.2.8 अन्य राज्यों को किये गये माल के हस्तान्तरण/परेषण की बिक्री का सत्यापन न होना।

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत कुछ शर्तों का पालन करने पर अन्य राज्यों को किये गये स्टाक ट्रान्सफर पर व्यापारी द्वारा कोई कर देय नही है। स्टाक ट्रान्सफर से सम्बन्धित कपटपूर्ण लेन–देन पर रोक लगाने के लिये कमिश्नर व्यापार कर ने ऐसे मामले जो 40,000 रुपये एवं इससे अधिक हैं के लिये उप कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को व्यक्तिगत एवं भौतिक रूप से सत्यापित किये जाने हेतु निर्देशित किया है। तथापि, यह संज्ञान में आया है कि 7 परिक्षेत्रों में स्टाक ट्रान्सफर/ कन्साइनमेन्ट बिक्री 394.97 करोड़ रुपये जिसमें 39. 50 करोड़ रुपये की कर देयता सन्निहित थी, जो कि सत्यापन करने पर या तो सही नहीं पायी गयी या उनका सत्यापन 1995–96[8] से लम्बित था।

विभाग द्वारा अन्य राज्यों को किये गये स्टाक ट्रान्सफर के सत्यापन हेतु कोई त्वरित प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। कानपुर तथा वाराणसी परिक्षेत्रों में यहाँ तक कि एक भी मामले में (दिसम्बर 2000 तक) सत्यापन नहीं किया गया और आगरा परिक्षेत्र में वर्ष 1995–96 से 104 मामलों में केवल 2 मामले ही सत्यापित हो सके।

1. मेसर्स गंगाधर एण्ड सन्स, मे. शक्ति इण्टरप्राइजेज, मे. इण्डियन आयल कार्पो., मे. मूलचन्द्र श्याम लाल
2. मे. आर. एम. इण्टर प्राइजेज, मे. माया एग्रो प्रोडक्टस् लि.
3. मे. जी.डी. स्टील एण्ड गैसेज प्रा. लि., मे. बैरान इण्टरनेशनल लि., मे. स्वर्णिमा आयल इण्डिस्ट्रीज एण्ड लि. मे. कमल ट्रेडिंग कं., मे. सोमानी आयरन एण्ड स्टील लि., मे. मोहन स्टील लि.
4. मे. आर. एच. एल. प्रोफईल्स, मे. विकास ट्रेडिंग कं., मे. नेशनल ट्रेडिंग कं., मे. उ.प्र. लघु उद्योग निगम (यू.पी. एस. आई सी. लि.)
5. मे. माँ वैष्णव एजेन्सी, मे. यूनाईटेड इण्डिया पब्लिकेशन्स, मे. राप्ती कमीशन एजेन्सी
6. मे. सुरेश कुमार, मे. सेण्ट्रल डिस्टलरी एण्ड बेवरीज बाम्बे, मे. डी.सी. एम. श्री राम इण्डस्ट्री, मे. कुमार ट्रेडिंग कं., मे. भवानी ट्रेडिंग कं.
7. मे. कमल ट्रेडर्स, मे. राजेश्वर लाटरी एजेन्सी, मे. शान्ति एजेन्सी, मे. वरूणा कोल कमीशन एजेन्ट
8. मे. हाईज एण्डिया प्रा. लि., मे. एशियन पेण्ट्स इण्डिया लि. मे. एरो क्लब, मे. एम. एम. टी. लि., मे. सिंथेटिक्ट एण्ड केमिकल्स लि., मे. स्टार पेपर मिल्स लि., मे. टाटा केमिकल्स लि. और मे. राम प्रसाद, हरीश चन्द्र

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 2000) कि बजट में यात्रा भत्ता के लिये अपर्याप्त प्रावधान, कर्मचारियों की कमी तथा सम्बन्धित राज्यों के अधिकारियों/ कर्मचारियों का सहयोग भी न मिल पाने के कारण स्टाक ट्रान्सफर का सत्यापन नहीं किया जा सका। यह मान्य नहीं है क्योंकि अपर्याप्त बजट, कर्मचारियों की संख्या एवं अन्य राज्यों से असहयोग का कोई प्रमाण अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं था।

2.2.9 अन्य रुचिकर बिन्दु

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–ई के अन्तर्गत 1 अगस्त 1990 से, प्रत्येक व्यापारी संकल विक्रय धन/ क्रय धन या दोनों जैसा कि मामला हो, पर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर के साथ अतिरिक्त कर भी अदा करेगा जो उस कर निर्धारण वर्ष के लिये उसके देय कर का 25 प्रतिशत होगा।

सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण)–1, व्यापार कर, इलाहाबाद की लेखा परीक्षा (जनवरी 2001) के दौरान यह देखा गया कि एक व्यापारी ने 5.17 करोड़ रुपये की सीमेन्ट की बिक्री वर्ष 1992–93 में किया जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर (अतिरिक्त कर सहित) लगाया गया था (फरवरी 1994)। तथापि, प्रतिप्रेषित वाद में, कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रय धन बढ़ाकर 5.31 करोड़ रुपये कर दिया एवं उस पर 10 प्रतिशत की दर से कर (अगस्त 1997) आरोपित किया परन्तु 2.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाना छूट गया इसके परिणामस्वरूप 13.27 लाख रुपये के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया (जनवरी 2001) कि आवश्यक सत्यापन के बाद कार्यवाही की जायेगी।

2.2.10 निर्धारित अभिलेखों के रख रखाव का न होना

उप कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को स्टाक सत्यापन तथा कन्साइनमेन्ट बिक्री के अभिलेखों का रखना जरूरी है जबकि कर निर्धारण अधिकारी प्रपत्र आर0–14 ए तथा आर. 14 बी रजिस्टर को रखेगा जिसमें विशेष अनुसंधान शाखा से प्राप्त रिपोर्टों, सूचना का स्रोत और व्यापारी की उचित विक्रय धनराशि को अंकित करेगा, नमूना जाँच पर यह पाया गया कि अधिकांश परिक्षेत्रों में ये रजिस्टर या तो बनाये नहीं गये थे और जहाँ बने थे वे भी अपूर्ण थे। परिणामस्वरूप विशेष अनुसंधान शाखा की कार्य प्रणाली पर प्रभावहीन नियंत्रण रहा।

यह दर्शाता है कि जिस अभीष्ट उद्देश्य से विशेष अनुसंधान शाखा का गठन किया गया था वह मुख्यतः अपर्याप्त अनुश्रवण तथा किसी निर्धारित मानक के न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

पूर्ववर्ती बिन्दुओं को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अक्टूबर 2001)।

2.3 व्यापार कर विभाग में 'अर्थदण्ड के आरोपण एवं उसकी वसूली' पर समीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत व्यापार कर विभाग के कर निर्धारण अधिकारी यदि किसी व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई दोष पाता है तब यथावश्यक जाँच के बाद ऐसे व्यापारी अथवा व्यक्ति को देय कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में भुगतान हेतु निर्देश देगा। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 भी व्यापार कर प्राधिकारियों को, ऐसे व्यापारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार प्रदान करता है जो अधिनियम की धारा 10 की शर्तों के विरुद्ध वस्तुओं को खरीद करने का दोषी पाया जाता है। तथापि बिक्री के दोष के मामलों में प्रान्तीय अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

व्यापार कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन का अधिकार कमिश्नर व्यापार कर उत्तर प्रदेश पर निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। कमिश्नर को अपर कमिश्नरों, उप कमिश्नरों, सहायक कमिश्नरों तथा व्यापार कर अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है। प्रशासनिक सुविधा के लिये राज्य को (उत्तराँचल को शामिल करके) 39 परिक्षेत्रों में बाँटा गया है जिनमें प्रत्येक का प्रमुख उप कमिश्नर (कार्य पालक) होता है। इन परिक्षेत्रों को पुनः मण्डलों तथा खण्डों में विभाजित किया गया है जिसका प्रभारी क्रमशः सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण) तथा व्यापार कर अधिकारी होता है।

2.3.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निहित नियमों एवं समय–समय पर विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार आरोपणीय अर्थदण्ड तथा उसकी वसूली को सुनिश्चित करने हेतु एक समीक्षा माह जुलाई 2000 से माह मार्च 2001 तक सम्पन्न की गई। इस कार्य हेतु 39 परिक्षेत्रों में से 20 परिक्षेत्रों (77 व्यापार कर मण्डलों तथा 33 खण्डों) के प्रासंगिक मामले, जो वर्ष 1994–95 से 1999–2000 के मध्य निर्णित किये गये थे, की नमूना जाँच की गई।

2.3.4 प्रमुख अंश

- देय व्यापार कर के देर से जमा करने/ न जमा करने के कारण 32 मण्डलों और 5 खण्डों के 47 व्यापारी 2.31 करोड़ रुपये अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.5)

- छिपाये/ दबाये हुये 'बिक्रयधन' पर 18 मण्डलों एवं 14 खण्डों के 42 व्यापारी 4.55 करोड़ रुपये अर्थदण्ड के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.6)

- गलत प्रमाण–पत्र/ घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने के कारण 11 मण्डलों एवं 1 खण्ड के 21 व्यापारी 4.17 करोड़ रुपये अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.7)

- 9 मण्डलों एवं 6 खण्डों के 17 व्यापारी माल के अनधिकृत आयात के लिए 2.06 करोड़ रुपये अर्थदण्ड के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.8)

- 8 मण्डलों एवं 2 खण्डों के 10 व्यापारी कच्चे माल के दुरुपयोग के लिए 20.52 करोड़ रुपये अर्थदण्ड के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.10)

- 30 मण्डलों एवं 7 खण्डों के 48 व्यापारियों ने घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरुद्ध माल की खरीद की जिसका उल्लेख उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र में नहीं था, 3.39 करोड़ रुपये अर्थदण्ड के दायी थे।

(प्रस्तर 2.3.12)

2.3.5 देय कर विलम्ब से जमा करने/ न जमा करने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 15–क(1)(क) तथा (ड़) के अन्तर्गत यदि व्यापारी तर्क संगत कारण के बिना बताये अपने विक्रय–धन का विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अथवा नियत समय के भीतर और निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विवरण पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व देय कर जमा नहीं किया है तो व्यापारी देय कर के अतिरिक्त देयकर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देयकर का 50 प्रतिशत यदि देयकर दस हजार से अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में देगा। कमिश्नर व्यापार कर ने भी अपने परिपत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1991 में स्पष्ट रूप से कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अर्थदण्ड की कार्यवाही कर निर्धारण के साथ–साथ अथवा उसके तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दें।

32 असिस्टेन्ट कमिश्नरों (क0नि0) तथा 5 व्यापार कर अधिकारियों (क0नि0) के कार्यालयों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 47[1] व्यापारियों ने 23.08 करोड़ रुपये के कर या तो विलम्ब से जमा किये गये थे या जमा नहीं किये थे। विलम्ब की अवधि 2 दिन से 33 माह तक की थी जिसके लिये व्यापारी देय कर के रूप में कम से कम 10 प्रतिशत की दर से 2.31 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के दायी थे, जिसे विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

1 कानपुर (3), मेरठ (3), गाजियाबाद (6), नोएडा (5), वाराणसी (4), सोनभद्र (1), आगरा (1), लखनऊ (8), आजमगढ़ (1), अलीगढ (2), बरेली (1), मुरादाबाद (1) तथा सीतापुर (1)।

2.3.6 टर्नओवर के छिपाने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 15–क(1)(ग) के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी सन्तुष्ट हो कि कोई व्यापारी जो अपने विक्रयधन का विवरण छिपाता है अथवा जानबूझ कर ऐसे विक्रयधन का त्रुटिपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करता है, वह व्यापारी को निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त बचाये गये कर के कम से कम 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा।

18 असिस्टेन्ट कमिश्नरों (क0नि0) और 15 व्यापार कर अधिकारियों (क0नि0)[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच पर पाया गया कि विभाग ने 42 व्यापारियों द्वारा दबाये/ छिपाये गये विक्रयधन 139.94 करोड़ रुपये की पुष्टि की जिस पर करारोपण तो किया गया, परन्तु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया। व्यापारी 4.55 करोड़ रुपये न्यूनतम अर्थदण्ड देने के दायी थे। इसके फलस्वरूप 4.55 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

2.3.7 मिथ्या प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र जारी करने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 15–क(1)(ठ) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी ऐसा मिथ्या प्रमाण–पत्र या घोषणा–पत्र देता है अथवा प्रस्तुत करता है जिसके कारण क्रय या विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कर लगने से रह जाता है। तो वह बचाये गये कर का कम से कम 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड का दायी होगा।

11 असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं एक व्यापार कर अधिकारी (कर निर्धारण)[2] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि 21 व्यापारियों ने 2.78 करोड़ रुपये के माल के हस्तान्तरण/ परेषण के लिए मिथ्या प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र प्रस्तुत किये जिसके आधार पर 8.34 करोड़ रुपये के कर को बचाया। जिस पर करारोपण तो कर दिया गया लेकिन अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 4.17 करोड़ रुपये अर्थदण्ड का आरोपित होने से रह गया।

2.3.8 माल के अनियमित आयात पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 15–क(1)(ण) के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी धारा 28–क के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है तो माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक अथवा उस वस्तु पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपणीय कर का तीन गुना जो भी अधिक हो, धनराशि अर्थदण्ड के रूप में देगा।

---

1 लखनऊ (4), मुरादाबाद (1), अलीगढ (1), कानपुर (5), मेरठ (3), गाजियाबाद (3) मुगलसराय (1), बिजनौर (1), बाँदा (1), मैनपुरी (1), शाहजहाँपुर (1), एटा (1), उरई (1), हसनपुर (1), फतेहगढ (1), आगरा (1), नोएडा (2), बरेली (1) तथा वाराणसी (2) सीतापुर (1)।

2 कानपुर (5), आगरा (1), मुरादाबाद (1), मेरठ (2), तथा नोएडा (3)।

9 असिस्टेन्ट कमिश्नरों (क0नि0) एवं 6 व्यापार कर अधिकारियों (क0नि0)[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 17 व्यापारियों द्वारा 5.16 करोड़ रुपये मूल्य के माल का आयात बिना प्रपत्र 31 के विरुद्ध धारा 28–क के प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए किया गया लेकिन 2.06 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 2.06 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

2.3.9 अधिक कर वसूलने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 15–क(1)(थ थ) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी धारा 8–क की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंधन करके उक्त अधिनियम के अधीन माल के विक्रय या क्रय पर कोई व्यापार कर वसूल करता है या कोई रकम कर के बजाय कोई दूसरा नाम देकर वसूल करता है तो वह ऐसी धनराशि जो वसूल किये गये कर की धनराशि या, यथास्थिति अधिक वसूल की गयी धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो, अर्थदण्ड का दायी होगा।

8 असिस्टेन्ट कमिश्नरों (व्यापार कर)[2] के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 11 व्यापारियों ने 24.23 लाख रुपये ग्राहकों से कर के रूप में अधिक वसूला जो कि विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। परन्तु उन पर कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। इस प्रकार व्यापारी कम से कम 24.23 लाख रुपये अर्थदण्ड के दायी थे।

2.3.10 माल के अन्यथा निस्तारण के लिये अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम की धारा 4–ब(5) सपठित शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त 1987 के अन्तर्गत कुछ शर्तो के पूरा करने पर विज्ञापित माल के निर्माण में वांछित कच्चे माल, पैकिंग मैटीरियल आदि की खरीद पर निर्माताओं को कर में विशेष राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यदि कच्चे माल का प्रयोग, मान्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित वस्तुओं के निर्माण में न करके, किसी अन्य प्रकार से उसका प्रयोग कर लिया जाता है, तो व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा, जो उसके द्वारा कर में प्राप्त की गयी राहत से कम न हो, परन्तु यह राशि प्राप्त की गयी राहत के तीन गुने से अधिक न होगी।

7 असिस्टेन्ट कमिश्नरों (कर निर्धारण) तथा 2 व्यापार कर अधिकारियों (कर निर्धारण) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 1994–95 से 1999–2000 के दौरान मान्यता प्रमाण–पत्र धारक 10 व्यापारियों ने विज्ञापित मालों के निर्माण हेतु 273.04 करोड़ रुपये का कच्चा माल करमुक्त/रियायती दर पर खरीदा और 20.52 करोड़ रुपये की राहत कर में प्राप्त की। चूंकि इन कच्चे मालों का प्रयेाग विज्ञापित मालों के निर्माण में न करके इसका निस्तारण अन्यथा किया गया, अतएव व्यापारी 20.52 करोड़ रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान के नीचे दिये गये विवरण के अनुसार दायी थे:

---

1 गाजियाबाद (2), वाराणसी (2),मुरादाबाद (1), मेरठ (2), लखनऊ (2), बरेली (1), आगरा (3), नोएड़ा (1) तथा फतेहगढ़ (1)

2 कानपुर (3), मेरठ (1),गाजियाबाद (3) तथा आगरा (1)

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	खण्ड/वृत्त का नाम	कर निर्धारण वर्ष	खरीदा गया माल	निर्माण हेतु क्रय माल	निर्माण में प्रयुक्त/अन्यथा निस्तारण	माल का मूल्य	कर में प्राप्त राहत की राशि	अर्थदण्ड की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –3 लखनऊ	1990–91	फेब्रिक्स	ए0डी0पी0ई0 बैग्स	एच0डी0पी0ई0 लेमिनेटओबेन सैक्स	102.38	10.24	10.24
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –6 लखनऊ	1997–98	एसिड स्लरी	डिटर्जेन्ट केक तथा पाउडर	जैसे कच्चा माल था वैसे ही बेंच दिया गया	4.67	0.35	0.35
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –बदायूं	1997–98	नेचुरल गैस एवं नेप्था	उर्वरक	विद्युत	12,446.46	933.48	933.48[1]
4.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –1, बरेली	1995–96 1997–98	नेचुरल गैस एवं नेप्था	उर्वरक	विद्युत	14,632.39	1097.44	1097.44[2]
5.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –6, आगरा	1996–97	जूता सामग्री	जूता (शू)	अन्यथा निस्तारण (विक्रीत)	4.83	0.97	0.97
6.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –11, आगरा	1993–94	केमिकल्स	जूता (फुटवियर)	परशोधित चमड़ा	6.86	0.51	0.51
7.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –4, नोएडा	1993–94	धान	चावल	परेषण	36.57	1.46	1.46
8.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 फिरोजाबाद	1998–99	लकड़ी	लकड़ी के बक्से	लकड़ी को टुकड़ों में काट कर बेंचा गया	19.48	2.43	2.43
9.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 मेरठ	1993–94	रबर केमिकल	रबर उत्पादक	हवाई चप्पल	36.81	3.68	3.68
10.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –12 आगरा	1993–94	कच्चा लोहा एवं स्क्रेप	सी0 आई0 कास्टिंग	मशीनरी पार्ट्स	13.27	1.59	1.59
	योग					27,303.72	2052.15	2052.15

2.3.11 स्रोत पर काटे गये कर के जमा न होने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम की धारा 8–घ(6) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी ठेकेदार की ऐसी सकर्म संविदा के सम्बन्ध में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिये मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, ऐसी सकर्म संविदा के लिये अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि में से 4 प्रतिशत की राशि की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो काटी गयी राशि के दो गुने से अधिक न होगी।

4 असिस्टेन्ट कमिश्नरों (कर निर्धारण) तथा एक व्यापार कर अधिकारी (कर निर्धारण)[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच पर यह देखा गया कि 5 व्यापारियों ने ठेकेदारों से 26.13 लाख रुपये की कटौती तो की परन्तु उसे निर्धारित समय के अन्दर राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया। लेकिन 52.26 लाख रुपये का अर्थदण्ड उन पर नहीं लगाया गया।

1 मेसर्स टाटा केमिकल्स लि.
2 मेसर्स इण्डियन फार्मस फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव लि.
3 मेरठ, शाहजहाँपुर, नोएड़ा तथा कानपुर

2.3.12 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण–पत्र से अनाच्छादित माल के क्रय पर अर्थदण्ड का अनारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी निर्धारित प्रपत्र 'सी' की घोषणा के आधार पर दूसरे प्रान्त के व्यापारी से रियायती दर के कर पर माल खरीद सकता है परन्तु उस माल का उल्लेख उसके केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण–पत्र में होना चाहिए। पंजीयन प्रमाण–पत्र से अनाच्छादित माल के क्रय हेतु प्रपत्र 'सी' जारी करना एक अपराध है जिसके लिए व्यापारी अभियोजन का पात्र है। पंजीयन प्रदान करने वाला अधिकारी अधिनियम की धारा 10–क के अन्तर्गत इस अभियोजन के बदले उस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

30 असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) तथा 7 व्यापार कर अधिकारियों (कर निर्धारण)[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच पर पाया गया कि 48 व्यापारियों ने प्रपत्र 'सी' की घोषणा के विरुद्ध 22.86 करोड़ रुपये के सामान खरीदे जो कि उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र से अनाच्छादित थे। वे 3.39 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के दायी थे जिसे विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

2.3.13 जांच चौकियों पर अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम की धारा 28–क सपठित उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम 85 के अन्तर्गत राज्य के बाहर से सड़क मार्ग द्वारा कर देय सामान आयात करने के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से घोषणा प्रपत्र 31 प्राप्त करेगा। इस घोषणा–पत्र की एक प्रति उसके द्वारा जांच चौकी तथा दूसरी कर निर्धारण अधिकारी को दी जायेगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, जांच चौकी के अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि ऐसे आयातित माल के मूल्य के 40 प्रतिशत तक का अर्थदण्ड आरोपित करें।

वर्ष 1999–2000 में नमूना लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि आगरा के तीन सचल दल इकाइयों ने 22 ऐसी गाड़ियों को रोका जो प्रान्त बाहर से अपंजीकृत व्यापारियों के 90.80 लाख रुपये मूल्य के माल को ला रही थी। यद्यपि सचल दलों द्वारा 34.38 लाख रुपये के अर्थदण्ड को आरोपित करके वसूल भी कर लिया गया जबकि यह अर्थदण्ड जांच चौकी के अधिकारियों द्वारा लगाया जाना चाहिए था। यह प्रदर्शित करता हे कि अनधिकृत माल के आयात पर अर्थदण्ड के आरोपण के मामले में जांच चौकियाँ काफी सतर्क नहीं है।

2.3.14 अर्थदण्ड के आरोपण एवं उसकी वसूली की स्थिति

असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) तथा व्यापार कर अधिकारियों (कर निर्धारण) के स्तर पर रखे जाने वाले आर0–3 (मांग रजिस्टर) के 12 जिलों/ तहसीलों[2] की जांच पर पाया गया कि वर्ष

1 पालियाकलां (1) , अलीगढ़ (1), कानपुर (3), नोएडा (2), वाराणसी (3), आगरा (3), खुर्जा (1), बुलन्दशहर (1), बाराबंकी (1), बस्ती (1), मेरठ (1), देवरिया (1), अम्बेदकर नगर (1), इलाहाबाद (3), मैनपुरी (1), गाजियाबाद (2), शाहजहाँपुर (1), बरेली (1), शिकोहाबाद (1), गोरखपुर (1), ललितपुर (1), सोनभद्र (1), एटा (1), कोसीकलाँ (1), मुजफ्फरनगर (1), गुलावटी (1) तथा सरधना (1)।

2 कानपुर, वाराणसी, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, सीतापुर पलियाकलाँ।

1994–95 से 1990–2000 के दौरान 2711 मामलों में 30.68 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया जिसमें से 2.24 करोड़ रुपये की तो वसूली कर ली गयी और 13.93 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड न्यायालयों/ अपीली प्राधिकारियों द्वारा कम/स्थगित कर दी गयी थी। 14.50 करोड़ रुपये की वसूली अभी तक बाकी है।

पूर्ववर्ती बिन्दुओं को विभाग तथा शासन (जून 2001) को सूचित कर दिया गया था; लेकिन उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2001)।

2.4 माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दर की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है। वस्तुओं के उन मामलों में, जो वर्गीकृत नहीं हैं, 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, 1 अगस्त 1990 से 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है।

15 व्यापार कर कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1998 से सितम्बर 2000 के मध्य) कि वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण सही दर से कर लगाया नहीं गया जिसके परिणामस्वरूप 42.82 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ। दृष्टान्त के रूप में कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योगय टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –1, अलीगढ	1996–97	ग्लूकोज सी तथा डी जिसे दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया	234.80	10	7.5	5.87
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –1, गाजियाबाद	1996–97 तथा 1997–98	पावर प्लान्ट इक्विपमेन्ट जिसे इलेक्ट्र ानिक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया	288.41	10	5	14.42
3	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2, बाराबंकी	1996–97	कीटनाशक जिसे दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया	31.37	10	7.5	0.78
4	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) – हापुड	1998–99	तरल ग्लूकोज जिसे दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया	89.54	10	7.5	2.24
5	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –6, वाराणसी	1996–97	तरल ग्लूकोज जिसे दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया	30.65	10	7.5	0.77
6	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–21, कानपुर	1997–98	लुब्रीकेटिंग आयल जिसे क्रूड आयल वर्गीकृत किया गया	11.50	10	5	0.58
7	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –11, गाजियाबाद	1.4.94 से 30.9.94	इलेक्ट्रि क स्विच इक्विपमेन्ट जिसे इलेक्ट्र ानिक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया	16.33	10	3.75	1.02
		1.10.94 से 31.3.95	– – तदैव –	10.57	10	5	0.53
		1995–96	– – तदैव	21.99	10	2.5	1.65
8	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –5 कानपुर	1996–97	पाली प्रोपलीन वेस्ट जिसे वेस्ट प्रोडक्ट माना गया	20.63	10	5	1.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1, गाजियाबाद	1997–98	ग्लास बाल्स जिसे खेल के समान के रूप में वर्गीकृत किया गया	18.60	10	2.5	1.39
10	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–4, मेरठ	1997–98	डायग्नोसिटिक किट जिसे दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया	32.06	10	7.5	0.80
11	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–, मिर्जापुर	1996–97	कापर राड जिसे अयस्क तथा मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया	6.75	10	2.5	0.51
12	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6, कानपुर	1996–97 तथा 1998–99	नील जिसे वाशिंग मैटेरियल के रूप में वर्गीकृत किया गया	371.37	10	7.5	9.28
13	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), हाथरस	1997–98	नील जिसे वाशिंग मैटीरियल के रूप में वर्गीकृत किया गया	29.53	10	7.5	0.74
14	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–14, कानपुर	1997–98	अल्ट्रामेरीन नील जिसे वाशिंग मैटीरियल के रूप में वर्गीकृत किया गया	25.47	10	7.5	0.64
15	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1, बरेली	1993–94	थाइमोल जिसे दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया	22.81	10	7.5	0.57
	योग			1262.38			42.82

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1998 तथा सिमबर 2000 के मध्य) विभाग ने 5 मामलों[1] में कर निर्धारण को संशोधित कर दिया तथा 10.93 लाख रुपये के कर का आरोपण कर दिया। अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं।

मामले विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

2.5 गलत दर लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दर की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है।

12 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1998 से नवम्बर 2000 के मध्य) कि कर की गलत दरें लगाई गई। इसके परिणामस्वरूप 1.02 करोड़ रुपये कम कर आरोपित किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2, गाजियाबाद	1993–94 से 1995–96	परिशोधित मूँगफली तेल	17.63	12.5	2.5	1.76

1 ए. सी. (ए)–I, अलीगढ़ 5.87, ए.सी. (ए), मिर्जापुर 0.51, ए.सी. (ए) II, गाजियाबाद 3.20, व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–II, बाराबंकी 0.78, ए.सी. (ए)–I, बरेली 0.57 (योग = 10.93 लाख)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–2, नोएडा	1992–93 तथा 1993–94	लैमिनेटेड एच0डी0पी0ई0 बैग्स	52.54	10	2.5	3.94
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)– मोदी नगर, गाजियाबाद	1996–97	स्पन्ज आयरन	36.18 16.75	10 2.5	4 2	10.55
4.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–14, कानपुर	1995–96	मशीनरी पार्ट्स	6000.00	7.5	6.25	75.00
5.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 खण्ड–5, गाजियाबाद	1996–97	सीमेन्ट	50.00	12.5	10	1.25
6.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–18, कानपुर	1996–97 से 1997–98	स्टेशनरी	49.43	10	7.5	1.24
7.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–5, वाराणसी	1996–97	वाटर पम्प के स्पेयर पार्टर्स	50.14	7.5	5	1.25
8.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), हरदोई	1996–97	प्लास्टिक के कन्टेनर	10.53	10	5	0.53
9.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–13, कानपुर	1996–97 तथा 1997–98 31.8.97 तक 1.9.97 से 31.3.98	नट तथा बोल्ट उपरोक्त	12.27 10.59	10 7.5	5 5	0.61 0.27
10.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), बिजनौर	1996–97 से 1997–98	डुपलेक्स बोर्ड	23.37	10	7.5	0.58
11.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1, गाजियाबाद	1994–95	कम्प्यूटर कन्ट्रोल आटोमेसन सिस्टम	56.79	15	7.5	4.26
12	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), हापुड	1998–99	मेज स्टार्च	30.09	7.5	5	0.75
	योग			**6416.31**			**101.99**

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जनवरी 1998 से नवम्बर 2000 के मध्य) विभाग ने 6 मामलों में[1] लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार कर लिया तथा 83.73 लाख रुपये की माँग सृजित कर दी।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

1 (1) व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–14, कानपुर 75.00, (2) ए.सी. (ए), हरदोई, 0.53 (3) व्यापार कर अधिकारी, श्रेणी II, खण्ड II, गाजियाबाद 1.5 (4) ए.सी. (ए)–5, वाराणसी, 1.25 (5) ए.सी. (ए)–II, गाजियाबाद, 1.76 (6) ए.सी. (ए)–II, नोएड़ा 3.94 (योग I = 83.73 लाख)

2.6 केन्द्रीय बिक्रीकर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर राज्य के अन्दर लागू दर जो भी अधिक हो, की दर से कर आरोपणीय है।

7 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा (जून 1999 तथा फरवरी 2001 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' से अनाच्छादित वस्तुओं के 172.75 करोड़ रुपये की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 13.75 करोड़ रुपये कर कम आरोपित हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –2, रामपुर	1997–98	जीराक्स मशीन	16201.00	2	10	1296.08[1]
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) , गोण्डा	1996–97	माल्ट स्प्रिट	7.92	10	25	1.19
3.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 खण्ड–2, वाराणसी	1995–96 से 1996–97	लोबिया	12.97	शून्य	4	0.52
4.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –1, अलीगढ़	1997–98	एसिड आयल	192.21	2.5	10	14.42
5.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –11, गाजियाबाद	1996–97	एच0डी0पी0ई0 फैब्रिक्स	133.51	शून्य	4	5.34
6.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –1, गाजियाबाद	1996–97 से 1997–98	पावर प्लान्ट इक्विपमेन्ट	690.88	2	10	55.27
7.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) –1, गाजियाबाद	1994–95	कम्प्यूटर कन्ट्र ोल आटोमेशन सिस्टम	36.98	10	15	1.85
	योग			17275.47			1374.67

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 1999 तथा फरवरी 2001 के मध्य) विभाग ने 3 मामलों में 7.83 लाख रुपये की माँग (अक्टूबर 1999 तथा सितम्बर 2000 के मध्य) सृजित कर दिया है।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

2.7 गलत कर मुक्ति

अधिनियम के अंतर्गत, शासन द्वारा जारी विज्ञप्तियाँ दिनांक 5 जून 1985 एवं 1 फरवरी 1989 के अनुसार पी0बी0सी0/एच0डी0पी0ई0 फैब्रिक के अतिरिक्त पावरलूम द्वारा निर्मित टेक्सटाइल की बिक्री कर मुक्त है।

1 मेसर्स मोदी जिराक्स लि.

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–11, व्यापार कर गाजियाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1999) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1996–97 में 1.94 करोड़ रुपये की एच0डी0पी0ई0 फैब्रिक की बिक्री किया जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने के स्थान पर कर मुक्त कर दिया गया। इसके फलस्वरूप 7.78 लाख रुपये की अनियमित कर मुक्ति दी गई।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित कर, 7.78 लाख रुपये की माँग सृजित कर दिया है (सितम्बर 2000)।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

2.8 कर की गणना में त्रुटि

(क) व्यापार कर अधिकारी श्रेणी– II खण्ड–1, मैनपुरी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1999) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1996–97 में आयातित कोयले की बिक्री 15 करोड़ रुपये में किया जिस पर कर की गणना तथा आरोपण 4 प्रतिशत की दर से सही धनराशि 60 लाख रुपये के स्थान पर 6 लाख रुपये किया गया। इसी प्रकार कोयले एवं केमिकल की घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'डी' से अनाच्छादित अन्तर्प्रान्तीय बिक्री 10 करोड़ रुपये एवं 50 करोड़ रुपये की गयी जिस पर 4 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की दर से सही कर 40 लाख रुपये एवं 5 करोड़ रुपये आरोपित करने के स्थान पर 4 लाख रुपये एवं 5 लाख रुपये आरोपित किया गया। इस प्रकार गणना की त्रुटि के कारण कुल 5.85 करोड़[1] रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

(ख) व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–II खण्ड–12 लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1997) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1990–91 में 50 लाख रुपये के बिजली के सामान की बिक्री किया जिस पर 15 प्रतिशत की दर से 7.50 लाख रुपये कर आरोपणीय था। किन्तु विभाग ने 4.50 लाख रुपये का कर आरोपित किया। इसके फलस्वरूप 3 लाख रुपये का कम कर आरोपित हुआ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1997 से दिसम्बर 1999 के मध्य), विभाग ने दोनों मामलों में त्रुटि का सुधार कर दिया और 5.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित कर दी (फरवरी 1998 से अगस्त 2000 के मध्य)/वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

मामला विभाग/ शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अक्टूबर 2001)।

1 मेसर्स बेबी ग्लास एण्डस्ट्रीज

2.9 क्रय कर का अनारोपण

अधिनियम की धारा–3 क क क क क के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी, किसी पंजीकृत व्यापारी से भिन्न, किसी व्यक्ति से कोई माल क्रय करता है जिस पर उस व्यक्ति द्वारा कर देय हो या अदेय हो ऐसे माल की क्रय कीमत पर उसी दर पर जिस पर ऐसे माल की बिक्री पर कर देय होता है, कर का देनदार होगा।

3 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1998 तथा अप्रैल 2000 कि मध्य) कि छः व्यापारियों ने 2.65 करोड़ रुपये मूल्य के सामान को अपंजीकृत व्यापारियों से वर्ष 1994–95 से 1998–99 के मध्य बिना कर के भुगतान के क्रय किया। इसलिये व्यापारी इन खरीदों पर 23.80 लाख रुपये की धनराशि के कर के दायी थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम/ व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	टर्नओवर	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2, सीतापुर (4 व्यापारी)	1997–98	लकड़ी	135.07	शून्य	15	20.26
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि.0)–4, गाजियाबाद (एक व्यापारी)	1994–95 तथा 1995–96	धान की भूसी	117.94	शून्य	2.5	2.95
3	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–II खण्ड–2 वाराणसी (एक व्यापारी)	1995–96 तथा 1996–97	लोबिया	11.79	शून्य	5	0.59
	योग			**264.80**			**23.80**

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 1998 से अप्रैल 2000 के मध्य), विभाग ने केवल दो मामलों (क्रम सं0–2 तथा 3) में कर निर्धारण को संशोधित कर दिया एवं 3.54 लाख रुपये क्रय कर का आरोपण कर दिया। विभाग ने बताया कि 1 दिसम्बर 1998 से इमारती लकड़ी पर कर देयता निर्माता अथवा आयातकर्त्ता के बिन्दु पर है। अतः 1 दिसम्बर 1998 से पूर्व इमारती लकड़ी की खरीद पर क्रय कर आरोपणीय नहीं था। विभाग का उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यापारी जो कोई माल खरीदता है उस पर धारा 3 क क क क क के प्रावधान लागू होते हैं, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत 1 अगस्त 1997 से कर के भुगतान का दायी होगा।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

2.10 गलत रियायत देने के कारण कर का अवनिर्धारण

यदि माल को केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के विभाग या किसी निगम अथवा प्रतिष्ठान को निर्धारित घोषणा के विरुद्ध बेंचा जाता हो तो अधिनियम में 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर के आरोपण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 1 अगस्त 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से

अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था। 14 मई 1994 से 27 सितम्बर 1994 की अवधि में सरकार द्वारा रियायती दर की सुविधा वापस ले ली गयी थी।

व्यापार कर के छः कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान (दिसम्बर 1997 से मार्च 2000 के मध्य) यह देखा गया कि सरकारी प्रतिष्ठानों की बिक्री पर सामान्य कर की दर के बजाय रियायती दर से कर का आरोपण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 6.77 लाख रुपये की धनराशि का कर कम आरोपण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य विक्रय घन	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–10, आगरा	1994–95	ट्रान्सफार्मर	11.76	10	5	0.59
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1, गोरखपुर	1994–95	इलेक्ट्रिकल गुड्स	36.36	10	5	1.82
3.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 आगरा	1994–95	गैस सिलेण्डर रेगुलेटर सहित	10.34	10	5	0.52
4.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6, लखनऊ	1994–95	माइक्रो कम्प्यूटर	17.00	15	5	1.87
5.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 इलाहाबाद	1994–95	लोहे के सामान	24.73	10	5	1.24
6.	(क) असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) गौतमबुद्ध नगर	1994–95	दवाई आदि	22.72	7.5	5	0.57
	(ख) असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), बाराबंकी	1994–95	ट्रान्सफार्मर	3.16	10	5	0.16
	योग			**126.07**			**6.77**

लेखा परीक्षा में (जुलाई 1998 से मार्च 2000 के मध्य) इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और दो मामलों[1] में 1.11 लाख रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित कर दी। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

2.11 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

अधिनियम की धारा 3–ख में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गलत या अशुद्ध घोषणा जारी करता है जिसके कारण खरीद अथवा बिक्री पर लगने वाला कर आरोपणीय नहीं रह जाता या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो व्यापारी उस राशि का देनदार हो जाता है जो उसने माल की खरीद पर कर में छूट के रूप में बचाया है।

1 (1) व्यापार कर अधिकारी खण्ड II, आगरा 0.52 (2) ए.सी. (ए)–10, आगरा 0.59 (योग = 1.11 लाख)

व्यापार कर के छः कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान (नवम्बर 1997 से सितम्बर 2000 के मध्य) यह देखा गया कि कतिपय अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र धारी सात व्यापारियों ने निर्धारित घोषणा–पत्र के विरुद्ध कर मुक्त अथवा कर की रियायती दर पर कच्चा माल, प्रसंस्करण माल इत्यादि खरीदा हो जिसके लिए मान्यता प्रमाण–पत्र के अनुसार वे प्राधिकृत नहीं थे। इसलिए वे व्यापारी वर्ष 1993–94 से 1997–98 की अवधि में प्राप्त की गयी कर के रियायत के बराबर 17.58 लाख रुपये की धनराशि के देनदार थे जिसका विवरण निम्न हैं:

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य विक्रय धन	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कर आरोपित कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1, उरई	1994–95	प्लास्टिक कन्टेनर टिन मशीनरी	21.65 22.03 6.05	2.5 2.5 2.5	10 5 6.25	2.40
2	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3, मुजफ्फरनगर –तदैव–	1996–97 1996–97	स्पन्ज आयरन तदैव	64.14 18.70	2 2	10 10	5.13 1.50
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–4, मेरठ	1993–94	माइल्ड स्टील/कोरोगेटेड स्टील टैंक	20.67	5	10	1.03
4.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–5, वाराणसी	1996–97	मोनोग्राम	10.65	2.5	10	0.80
5.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), हरदोई	1995–96 1996–97 1996–97	चूना टरवाइन पेन्ट	2.56 41.72 0.33	2.5 2.5 2.5	7.5 10 15	3.30
6.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–6, कानपुर	1997–98	स्पन्ज आयरन	42.76	2	10	3.42
	योग			**251.26**			**17.58**

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1997 से अक्टूबर 1999 के मध्य) विभाग ने बताया कि तीन मामलों में 5.13 लाख रुपये की माँग सृजित की जा चुकी है। अन्य मामलों में कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

2.12 टर्नओवर छूट जाने से कर का अवनिर्धारण

अधिनियम के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री पर 7 जुलाई 1981 से 26 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 1996 से 20 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त 1 अगस्त 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है। आगे केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 में फार्म 'सी' में की गयी घोषणा के विरुद्ध अल्कोहल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री 4 प्रतिशत की

दर से कर योग्य है। यह न्यायिक अवस्थापना है कि बिक्री संवर्धन टर्नओवर का हिस्सा है।

व्यापार कर के 3 कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान (दिसम्बर 1998 से अगस्त 1999 के मध्य) यह देखा गया कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बिक्री संवर्धन एवं लाइसेंस शुल्क की 230.06 लाख रुपये की राशि को टर्नओवर में नहीं जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप 53.68 लाख रुपये के कम कर आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	छिपाई गई विक्रय धनराशि	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3, गाजियाबाद	1996–97	203.63	25	– – –	50.91
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–7, लखनऊ	1995–96	6.00	32.5	– – –	1.95
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), फतेहगढ़	1996–97	20.43	4	– – –	0.82
	योग		230.06			53.68

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2001)।

2.13 अन्य अनियमिततायें

(क) पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश व्यापार का अधिनियम एवं उसी भाँति केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत व्यापारी जिसकी, कर देयता होती है, अपने आपकों पंजीकृत कराने हेतु विभाग को आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी उसकी पात्रता, उसके स्थानीय एवं स्थायी पते की सत्यता और उसकी आर्थिक स्थिति इत्यादि के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद व्यापारी को पंजीयन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा। अग्रेतर सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए व्यापारी से प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूति भी प्राप्त की जाती है।

व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–2 मैनपुरी की लेखापरीक्षा के दौरान (मार्च 2000) यह देखा गया कि एक व्यापारी पंजीकृत किया गया (नवम्बर 1990), अपने मामले के कर निर्धारण हेतु कभी उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी विभाग ने उसके मामले में वर्ष 1990–91 से 1997–98 तक का कर निर्धारण एक पक्षीय आधार पर 5.31 करोड़ रुपये की बिक्री टर्नओवर पर कर दिया और 25.70 लाख रुपये का कर आरोपित किया। व्यापारी ने वर्ष 1990–91 से 1991–92 के लिए 0.44 लाख रुपये का कर पहले ही जमा कर दिया था। कर की शेष राशि 25.26 लाख रुपये के लिए उसके पते पर वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। किन्तु यह उस पर तामील नहीं कराया जा सका क्योंकि उसका पता जाली पाया गया। विभाग ने 30 अक्टूबर 1999 को उसका पंजीयन एवं मान्यता प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया। पंजीयन प्रमाण–पत्र स्वीकृत करते समय अधिनियम के

प्रावधानों के पालन न करने के परिणामस्वरूप 25.26 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्टूबर 2001)।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–30 का प्रावधान है कि ऐसे किसी मामले में जिसमें एक पक्षीय आधार पर कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड के आदेश पारित किये गये हों, व्यापारी आदेश के तामील होने के तीस दिनों के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश को रद्द करने तथा मामले की पुनः सुनवाई के लिए खोलने का आवेदन–पत्र दे सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण के एकपक्षीय आदेश को रद्द किये जाने के लिए कोई ऐसा प्रार्थना–पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर की धनराशि के जमा का संतोषजनक प्रमाण न हो।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), व्यापार कर, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज) की लेखा परीक्षा के दौरान (मई 2000) यह देखा गया कि विभाग ने एक व्यापारी (अर्द्धशासकीय संस्थान) को 1710 फार्म–31, 50 फार्म 'सी' तथा 100 फार्म 3–घ वर्ष 1991–92 के दौरान जारी किया जिसमें से 1624 फार्म–31, 3 फार्म–सी और 17 फार्म 3–घ का उसके द्वारा 866.94 करोड़ रुपये के माल खरीदने में इस्तेमाल किया गया तथा इस माल की आपूर्ति एक ठेकेदार को की गई। फरवरी 1996 से जनवरी 2000 की अवधि में अधिनियम की धारा–30 के अन्तर्गत खोले जाने के बाद व्यापारी का चार बार एकपक्षीय कर निर्धारण किया गया। पाँचवीं बार फिर मामले में एकपक्षीय आधार पर कर निर्धारण किया गया (नवम्बर 1999) तब करयोग्य टर्नओवर 968.99 करोड़ रुपये पर 144.32 करोड़ रुपये का कर आरोपित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध व्यापारी पुनः अपील में गया (जनवरी 2000) और मामला पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया गया/ प्रतिप्रेषित वाद अन्तिम रूप से अभी तक (अगस्त 2000) निस्तारित नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्ष 1991–92 का कर निर्धारण पिछले छः वर्षों की अवधि में या तो पुनः कर निर्धारण या अपील की प्रक्रिया में पड़ा रहा। अधिनियम की धारा–30 का दुरुपयोग करने के परिणामस्वरूप 144.32 करोड़ रुपये का राजस्व अवरुद्ध रहा।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2000), विभाग ने बताया कि प्रतिप्रेषण का मामला निस्तारित हो गया था (नवम्बर 2000) तथा टेण्डर फार्मों की बिक्री केवल 1.59 लाख रुपये पर 0.16 लाख रुपये का कर आरोपित किया गया। यह उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2000 से पता चला कि 39.06 करोड़ रुपये मूल्य के आयातित इलेक्ट्रिकल गुड्स पर 5.85 करोड़[1] रुपये का कर नहीं आरोपित किया गया।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्टूबर 2001)।

---

1 मेसर्स वरिष्ठ लेखाधिकारी 'बी' ताप विद्युत गृह

अध्याय – 3: राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 102.23 करोड़ रुपये की धनराशि के शुल्क/फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 190 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	ब्याज का अनारोपण	17	51.41
2.	अनुज्ञापन शुल्क का न वसूल किया जाना	21	266.54
3.	स्टाम्प शुल्क का न वसूल किया जाना	67	4535.08
4.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	22	1784.59
5.	परिशोधित स्प्रिट के पुनर्आसवन से अभिकर की क्षति	4	3064.49
6.	न्यूनतम प्रत्याभूति की मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	8	121.58
7.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन	12	152.08
8.	अन्य अनियमितताएँ	39	247.68
	योग	**190**	**10223.45**

कुछ निदर्शी मामलें जिसमें 43.02 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

3.2 शीरे से शराब का कम उत्पादन

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्य कलाप (संशोधित) नियमावली, 1978 के अनुसार शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से कम से कम 52.5 अल्कोहलिक लीटर शराब का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जाँच के लिये भेजा जाना अपेक्षित है। अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की रिपोर्ट नमूने की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर सम्बन्धित आसवनी के प्रभावी अधिकारी को भेजा जाना अपेक्षित है।

11 आसवनियों के लेखा परीक्षा के दौरान (जनवरी 2000 तथा जून 2000 के मध्य) पाया गया कि वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान शीरे के 149 मिश्रित नमूने अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जाँच के लिये भेजे गये। अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की आख्या के अनुसार अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 12086597 अल्कोहलिक लीटर के बजाय 12907262.94 अल्कोहलिक लीटर होना चाहिए था। इस प्रकार 820665.94 अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का उत्पादन कम रहा जिसमें 3.69 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व सन्निहित था।

इसे इंगित किये जाने पर (जनवरी 2000 एवं जून 2000 के मध्य) सम्बन्धित आबकारी अधिकारियों ने बताया कि मामलों को आबकारी आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2000 से मार्च 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2001)।

3.3 पुनर्आसवन से शुल्क की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत परिशोधित स्प्रिट विदेशी मदिरा की श्रेणी में आती है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा सीधे परिशोधित स्प्रिट या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से निर्मित किया जा सकता है। ई0एन0ए0 से निष्कर्षण के बाद अवशेष अशुद्ध स्प्रिट अनुमन्य छीजन के उपरान्त देशी मदिरा बनाने के लिये प्रयुक्त की जाती है।

सहारनपुर एवं रामपुर, दो आसवनियों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 1999 एवं जून 2000 के मध्य) कि वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 की अवधि में 65721760.50 अल्कोहलिक लीटर परिशोधित स्प्रिट जिस पर 285.32 करोड़ रुपये का आबकारी शुल्क लगने योग्य था (वर्ष 1998–99 में 40 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर तथा 1999–2000 में 48 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से), का पुनर्आसवन के लिये प्रयुक्त किया गया जिसमें परिशोधित स्प्रिट का 1197065.60 ए0एल0 अनुमन्य छीजन के पश्चात् 465393.60 ए0एल0 ई0एन0ए0 तथा 17985334.00 अल्कोहलिक लीटर अशुद्ध स्प्रिट प्राप्त हुई थी।

ई0एन0ए0 पर (जिसे बेहतर गुणवत्ता वाली आई0एम0एफ0एल0 हेतु प्रयुक्त किया गया था) तथा अशुद्ध स्प्रिट (जिसे देशी मदिरा के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया था) पर सकल आबकारी शुल्क 262.26 करोड़ रुपये प्रभारित किया गया था। ई0एन0ए0 पर आई0एम0एफ0एल0/ परिशोधित स्प्रिट तथा अवशेष अशुद्ध स्प्रिट पर देशी मदिरा की दरों से शुल्क प्रभारित किया गया था। परिशोधित स्प्रिट से ई0एन0ए0 के उत्पादन हेतु निर्धारित मापदण्ड के अभाव में तथा ई0एन0ए0 से उत्पादित बेहतर गुणवत्तावाली आई0एम0एफ0एल0 के आबकारी शुल्कों के पृथक एवं उच्चतर दर के अभाव से परिशोधित स्प्रिट की कुल मात्रा पर (छीजन घटाकर) आई0एम0एफ0एल0 पर लागू उच्चतर दर लगाया जाना चाहिए था। ऐसा न किये जाने की कमी के कारण यथेष्ट मात्रा में देशी मदिरा हेतु लागू निम्नतर दर अपनाया गया। केवल इन्हीं दो आसवनियों की नमूना जाँच की अवधि में वसूल की गई राजस्व में 23.06 करोड़ रुपये का अन्तर था।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

3.4 बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी शुल्क का न वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बाटलिंग नियमावली, 1969 के अनुसार, मदिरा के प्रदेश/ जिले के बाहर निर्यात की दशा में, निर्माता द्वारा एक बन्ध पत्र निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें

वह मदिरा को गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने एवं आयात करने वाले राज्य/ जिले के आबकारी प्राधिकारियों से 90 दिन के अन्दर संप्रेषण करने के आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेता है। यदि अनुज्ञापी उपरोक्त अवधि के भीतर वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो उससे निहित शुल्क के समतुल्य अर्थदण्ड की उससे वसूली की जायेगी।

3 आसवनियों[1] की लेखा परीक्षा (मार्च 2000 से मई 2000 के मध्य) में देखा गया कि 8 मामलों में, 98225.9 अल्कोहलिक लीटर परिशोधित स्प्रिट का निर्यात बाण्ड के अधीन मई 1999 से फरवरी 2000 के मध्य राज्य के बाहर किया गया, किन्तु अनुज्ञापी द्वारा 3 से 12 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी मदिरा के गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बाण्ड को निरस्त (इनवोक) करने तथा 47.15 लाख रुपये शुल्क के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मामले को इंगित किये जाने पर (मार्च 2000 से मई 2000 के मध्य) यह बताया गया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2000 से जनवरी 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

3.5 बिलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (29 मार्च, 1985 से यथा संशोधित) के अन्तर्गत, जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है वहां जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है उस आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में जो अधिनियम में संशोधन की तिथि के पूर्व देय था। 29 मार्च 1985 से उसी दर से ब्याज प्रभारित किया जाना अपेक्षित है।

7[2] जिला आबकारी अधिकारियों की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 2000 से जुलाई 2000 के मध्य) कि 21 मामलों में 6.05 लाख रुपये वर्ष 1962–63 से 1991–92 तक की समयावधि से सम्बन्धित थे 132 से 179 माह विलम्ब से (जनवरी 1995 से फरवरी 2000 के मध्य) जमा किया गया फिर भी बिलम्बित भुगतान पर 11.56 लाख रुपये का ब्याज आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (फरवरी 2000 से जुलाई 2000 के मध्य) सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया (फरवरी 2000 से जुलाई 2000 के मध्य) कि ब्याज की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

---

1 बाजपुर आसवनी ऊधमसिंह नगर, के0एम0 सुगर मिल्स एवं आसवनी मसौधा, फैजाबाद तथा हरगाँव आसवनी सीतापुर।

2 मेरठ, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर नगर और सुल्तानपुर।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

3.6 स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर–सह–नीलामी) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत उन मामलों में जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा देशी/ विदेशी मंदिरा एवं भाँग की बिक्री हेतु अनुज्ञापत्रों के आवंटन की बोली स्वीकार की गई है, तो बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा संविदा के निर्धारित तरीके से कार्य निष्पादन हेतु अग्रिम प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रत्येक बोली बोलने वाले को जिसके पक्ष में लाइसेंस दिया गया हैं, लाइसेंस की शर्तो के अनुरूप अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा। 12 अप्रैल, 1999 के शासन की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये प्रपत्र बन्धक–पत्र के संवर्ग में आते हैं और तद्नुरूप स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

11[1] जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों की लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2000 से सितम्बर 2000 के मध्य) कि संविदा की शर्तो के निष्पादन हेतु वर्ष 1998–99 से 2000–2001 की अवधि में देशी/ विदेशी मदिरा एवं भाँग की बिक्री बोली स्वीकार किये जाने पर अनुज्ञापियों ने 134.24 करोड़ रुपये नगद तथा 8.72 करोड़ रुपये के गारन्टी के रूप में अदा किया और प्रतिरूप अनुबन्ध भी निष्पादित किया। फिर भी इन अनुबन्धों को बंधक प्रपत्र मानते हुए 15.69 करोड़ रुपये (जिसकी गणना 125 रुपये प्रति हजार की दर से नगद जमा पर एवं 5 रुपये प्रति हजार की दर से प्रत्येक बैंक गारन्टी की राशि पर अधिकतम 10,000 रुपये) न ही आरोपित किया गया और न ही वसूला गया जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक शुल्क नहीं वसूल किया गया।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2000 से सितम्बर 2000 के मध्य) बताया गया कि आबकारी अधिनियम में करार पर स्टाम्प शुल्क लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि उपरोक्त उल्लिखित/शासकीय अधिसूचनायें सभी विभागों पर लागू होती हैं।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2000 तथा फरवरी 2001 के मध्य); उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)

1 इलाहाबाद, ललितपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बरेली, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, झाँसी, मथुरा, ऊधमसिंह नगर।

अध्याय–4: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 2000–2001 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 279 मामलों में 13.30 करोड़ रुपये की धनराशि के करों/ शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना प्रकाश में आया जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	यात्रीकर/अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना/ न लगाया जाना	107	965.93
2.	मार्गकर/ मालकर का अवनिर्धारण	30	83.02
3.	अन्य अनियमितताएँ	133	281.53
	योग	**279**	**1330.48**

वर्ष 2000–2001 के दौरान विभाग ने 80 मामलों में निहित 1.47 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 26.63 लाख रुपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित हैं अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

4.2 यात्री वाहनों से अतिरिक्त यात्रीकर का कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के चतुर्थ अनुसूची के भाग–1(क) के अनुसार अतिरिक्त कर (यात्रीकर) की दर किसी मार्ग विशेष पर संचालित यात्री वाहनों का सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट में दर्शायी गयी एक तिमाही में तय की गई दूरी तथा फेरों की संख्या के आधार पर निर्धारित और आरोपित की जायेगी।

4 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[1] की लेखा परीक्षा में देखा गया (अप्रैल 1999 एवं जून 2000 के मध्य) कि नवम्बर 1998 से मई 2000 की अवधि के दौरान 82 यात्री वाहनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर (यात्रीकर) की गणना परमिट में दर्शाये गये फेरों के आधार पर न करके, उनके द्वारा लगाये गये वास्तविक फेरों के आधार पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप 13.57 लाख रुपये की राजस्व की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1999 एवं जून 2000 के मध्य) विभाग ने बताया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1 देहरादून, काठगोदाम, कन्नौज, कुशीनगर।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 1999 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य); उनके उत्तर अभी नहीं प्राप्त हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

4.3 प्रक्रम वाहनों पर अतिरिक्त कर का कम आरोपण

9 नवम्बर, 1998 से प्रभावी अधिनियम की धारा–6 के चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद 1(अ) के अनुसार प्रक्रम वाहनों का बी श्रेणी के मार्ग पर अतिरिक्त कर 156 रुपया प्रति सीट/ प्रति तिमाही की दर से देय होगा, यदि वाहन एक तिमाही में 4500 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है तो नगर निगम या नगरपालिका की सीमा के भीतर संचालित प्रक्रम वाहन जिनमें 35 सीटों से अधिक सीट नहीं है, पर अतिरिक्त कर 4200 रुपया प्रति तिमाही तथा जिनमें 35 सीटों से अधिक सीटें हैं पर 6000 रुपया प्रति तिमाही देय होगा।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 2000) कि 67 प्रक्रम वाहनों को पाँच वर्षों के लिये (जुलाई 1998 एवं मार्च 1999 के मध्य) महानगरीय बस सेवा में संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन वाहनों से जुलाई 1998 से अक्टूबर 2000 की अवधि में 4200 या 6000 रुपये प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर आरोपित एवं वसूल किया गया था। अग्रेतर यह पाया गया कि ये वाहन नगर पालिका सीमा के बाहर संचालित थे। इसलिए इन वाहनों पर 156 रुपये प्रतिसीट प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर देय था। इसे न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप 7.04 लाख रुपये का अतिरिक्त कर कम वसूला गया।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1998 एवं मार्च 1999 के मध्य) विभाग ने बताया (जुलाई 2001), कि वाहन नगर निगम सीमा के बाहर संचालित रही और मामले को सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के सामने रखा जायेगा।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2001 एवं मई 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

4.4 अतिरिक्त कर (यात्रीकर) का निर्धारण/ वसूली न किया जाना

अधिनियम के अन्तर्गत मैक्सी कैब का एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत दिनांक 21 नवम्बर 1996 से प्रतिमाह 2350 रुपया, 9 नवम्बर 1998 से 1500 रुपया तथा 10 मार्च 2000 से 1650 रुपया अतिरिक्त कर निर्धारित किया गया। 9 नवम्बर 1998 में ऐसे वाहन जिनकी सीट क्षमता 12 से अधिक हो किन्तु 20 से अधिक न हो चालक/ परिचालक को छोड़कर, अतिरिक्त कर 4570 रुपये प्रति तिमाही के दर से आरोपणीय है।

4 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[1] की लेखा परीक्षा में देखा गया (मार्च 1999 एवं जून 2000 के मध्य) कि 75 मैक्सी कैब एवं 2 वाहन जिनकी सीट क्षमता 12 से अधिक एवं 20 से

1 प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर एवं सन्त रविदास नगर

अनाधिक हो परमिट से आच्छादित यात्री वाहन के रूप में उप सम्भाग में उपयोग किये गए थे लेकिन उन पर मार्च 1998 से जून 2000की अवधि का अतिरिक्त कर (यात्री कर) न तो निर्धारित किया गया और न ही वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप 6.02 लाख रुपये की राजस्व की वसूली नही की गयी।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 1999 एवं जून 2000 के मध्य) विभाग ने बताया (अगस्त 2001) कि वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

अध्याय–5 : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला निबन्धक एवं उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 346 मामलों में 42.12 करोड़ रुपयें के स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित किये जाने का पता चला, जो मौटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रूपये में)

कम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का कम आरोपण	249	258.85
2.	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	47	54.60
3.	अन्य अनियमितताएँ	50	3898.79
	योग	**346**	**4212.24**

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 36.00 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित हैं, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

5.2 भूमि के अवमूल्यांकन/गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत भूमि के हस्तान्तरण विलेख का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 एवं उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम (सम्पत्ति का मूल्यांकन), 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न वर्गों की भूमि की बाजार दरें, निबन्धन प्राधिकारियों को अपने जिले में मार्गदर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है।

(क) 16 उपनिबन्धक कार्यालयों[1] की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मई 1997 से अक्टूबर 2000 के मध्य) कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से मूल्यांकन न करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का 25.41 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मई 1997 से अक्टूबर 2000 के मध्य); सम्बन्धित उप निबन्धक ने बताया कि मामलों को स्टाम्प शुल्क के पर्याप्त (उचित) मूल्यांकन हेतु स्टाम्प कलेक्टर को संदर्भित किया गया है।

1 उपनिबन्धक–1. अलीगढ़, तालबेहट (ललितपुर), सितारगंज (ऊधमसिंह नगर), सिकन्दराराव (हाथरस), अलीगंज (एटा), वाराणसी, मोहम्मदाबाद (गाजीपुर), दुद्धी (सोनभद्र), गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद), मऊ, सलेमपुर (देवरिया), मोहनलालगंज (लखनऊ), आजमगढ़, इगलस (अलीगढ़), हरिद्वार, वाराणसी।

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998 एवं मार्च 2000 के मध्य), उनके उत्तर अभी नहीं प्राप्त हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

(ख) 3 उप निबन्धक कार्यालयों[1] की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (अप्रैल 1997 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य) कि 3 मामलों में स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर के अनुसार 87.99 लाख रुपये मूल्य के बजाय 38.11 लाख रुपये लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप 5.10 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1998 एवं अप्रैल 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

(ग) उप निबन्धक, तृतीय आगरा की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 1999) कि 2788 वर्गमीटर भूमि जिसमें 786 वर्गमीटर में भवन निर्मित था के विक्रय से सम्बन्धित विलेख जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर पर गणना के अनुसार 70 लाख रुपये के बजाय 4.90 लाख रुपये पर पंजीकृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप 5.21 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

1 रूढ़की, उपनिबन्धक प्रथम एवं उपनिबन्धक तृतीय मेरठ।

अध्याय–6: भू–राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 की अवधि में लेखा परीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 217 मामलों में 781.33 करोड़ रुपये के भू–राजस्व का न/ कम वसूल किया जाना, संग्रह प्रभार का कम वसूल किया जाना, किसान बहियों की निर्धारित शुल्क का न वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1	भू–राजस्व का न/कम वसूल किया जाना	10	168.44
2	संग्रह प्रभार की कम वसूली	65	257.40
3	किसान बही की आपूर्ति के लिये फीस का न वसूला जाना	14	17.44
4.	अन्य अनियमितताएँ	127	869.13
5.	:भू–राजस्व की भाँति बकाया देयों की वसूली' पर समीक्षा	1	76,821.00
	योग	**217**	**78,133.41**

वर्ष 2000–2001 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 266.52 लाख रुपये के 44 मामले विभाग द्वारा स्वीकार किये गये जो विगत वर्षो से सम्बन्धित थे।

भू–राजस्व की भाँति बकाया देयों की वसूली पर कुछ मामले तथा एक समीक्षा सम्मिलित करते हुए जिसमें 768.21 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित हैं, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है:

6.2 'भू–राजस्व की भाँति बकाया देयों की वसूली' पर समीक्षा

6.2.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 तथा समय–समय पर राजस्व परिषद् द्वारा जारी आदेशों के तहत राजस्व अधिकारी किसी सरकारी विभाग, निगम, परिषद्, बैंकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकायों से वसूली प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर उसमें निहित धनराशि कार्यवाही की लागत सहित (संग्रह प्रभार) भू–राजस्व के बकाए की भाँति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे। इस धनराशि का राजस्व विभाग में 'भू–राजस्व की भाँति बकाया देयों की वसूली' की श्रेणी में माना जाएगा।

6.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

भू–राजस्व की भाँति बकाया देयों की वसूली हेतु योजना बनाना, वसूली की प्रक्रिया निर्धारित करना, राजस्व परिषद् की जिम्मेदारी है जिसकी वसूली जिलाधिकारियों द्वारा तहसीलदारों की सहायता से प्रभावी ढंग से की जायेगी। वसूली का वास्तविक कार्य तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी अमीन द्वारा किया जाता है।

6.2.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

भू–राजस्व की भाँति बकाया देयों की वसूली से सम्बन्धित भू–राजस्व विभाग की प्रभावशीलता, नियमों तथा अनुदेशों का अनुपालन के मूल्यांकन हेतु जुलाई 2000 से मार्च 2001 तक एक समीक्षा सम्पादित की गयी। इसके लिये राज्य के 83 जिलों में से 30 जिलाधिकारियों तथा तहसीलदार सदर के कार्यालयों के पाँच वर्षों 1995–96 से 1999–2000 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच लेखा परीक्षा द्वारा की गयी।

6.2.4 मुख्य अंश

- 153.68 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र बिना पर्याप्त प्रलेखों के जिलाधिकारी द्वारा ले लिये जाने के कारण कोई वसूली न हो सकी।

(प्रस्तर 6.2.6)

- जिलाधिकारी द्वारा भेजे गये 25.84 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र तहसीलदारों द्वारा अभिलेख में न लेने के फलस्वरूप वसूली न की जा सकी।

(प्रस्तर 6.2.7)

- 287.10 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र अन्य जनपदों के जिलाधिकारियों को भेजे गये जिनकी वसूली हेतु ठीक प्रकार से परिवीक्षण (मानीटर) न किये जाने के कारण कोई वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 6.2.8)

- 112.11 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र तहसीलदारों ने जमानतदारों के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया शुरू किये बिना वापस कर दिये जाने के कारण कोई वसूली नही हुयी।

(प्रस्तर 6.2.9)

- 42.19 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र तहसीलों में 5 वर्षों से तथा 82.22 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र 2 से 5 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी कार्यवाही के लम्बित पड़े रहे।

(प्रस्तर 6.2.11)

- 65.07 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र जिलाधिकारियों द्वारा बिना वसूली के वापस किया जाना अनियमित था।

(प्रस्तर 6.2.12)

6.2.5 बकाया माँग

उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत राजस्व परिषद् द्वारा प्रेषित सम्पूर्ण राज्य की 5 वर्षों से बकाए की माँग की स्थित निम्नवत थीः

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	बकाये का विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	कुल मांग	719.17	774.45	893.48	951.51	1258.30
2.	न्यायालय/विभाग द्वारा रोक/ स्थगित	40.57	37.26	70.25	75.66	120.58
3.	अस्थायी अवसूलनीय	12.75	13.60	32.78	20.63	52.87
4.	निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त वसूली प्रमाण–पत्र	149.27	180.78	172.49	175.39	203.38
5.	शुद्ध माँग (1-2-3-4)	516.58	542.81	617.96	679.83	881.57
6.	वर्ष के दौरान वसूली	425.44	487.33	552.81	632.77	778.59
7.	सम्पूर्ण माँग के विरुद्ध अवशेष (1-6)	293.73	287.12	340.67	318.74	479.71
8.	शुद्ध मांग के विरुद्ध अवशेष (5-6)	91.14	55.48	65.15	47.06	102.98

(अ) यह अवलोकनीय होगा कि

(i) शुद्ध वसूली योग्य माँग की गणना करते समय न्यायालय/ विभाग द्वारा स्थगित माँग घटी थी जबकि यह प्रतिवर्ष बढ़त पर थी।

(ii) यहाँ तक कि इस प्रकार की घटी माँग से एक बड़ी धनराशि वर्ष 1995–96 तथा 1999–2000 के मध्य :अस्थायी, अवसूलनीय, तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त वसूली प्रमाण–पत्र'

प्रदर्शित करते हुए प्रतिवर्ष त्रुटिपूर्ण ढंग से घटाई गई हैं।

(iii) वसूली की अधिक प्रतिशतता प्रदर्शित किये जाने हेतु शुद्ध माँग को 20 से 25 प्रतिशत तक कम दर्शाया गया था जैसा कि ऊपर (i) तथा (ii) में उल्लिखित है।

(ब)(i) लेखा परीक्षा में पुनः यह देखा गया कि सम्पूर्ण माँग/ शुद्ध मांग के आँकड़े जैसा कि राजस्व परिषद् द्वारा दर्शाया गया विश्वसनीय नही थे। एकत्र सूचनाओं के अनुसार समीक्षा में 30 जिलों के जिलाधिकारियों की सम्पूर्ण माँग तथा शुद्ध माँग वर्ष 1999–2000 के अन्त तक, क्रमशः 462.01 तथा 211.45 करोड़ रुपये थी जब कि इसे राजस्व परिषद् द्वारा प्रस्तुत आँकड़े में 83 जिलों हेतु 479.71 करोड़ तथा 102.98 करोड़ रुपये दर्शाया गया।

(ii) जिलाधिकारियों तथा राजस्व परिषद् के आँकड़ों के मिलान हेतु कोई प्रयास नही किया गया।

6.2.6 सम्पत्तियों के प्रलेखों के बिना वसूली प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जाना

जिलाधिकारियों को प्रभावी ढंग से माँग की वसूली हेतु कोई भी भू–राजस्व की बकाये की भाँति वसूली प्रमाण–पत्र तभी स्वीकार किया जाना चाहिये जब वह निर्धारित प्रलेखों से परिपूर्ण हो।

24[1] जिलों के जिलाधिकारी कार्यालयों/ प्रभारी अधिकारी संग्रह के कार्यालयों के नमूना जाँच में 759 मामलों में निहित धनराशि 153.68 करोड़ रूपये वित्त निगम, पिकप आदि द्वारा वर्ष अप्रैल 1995 तथा मार्च 2000 के मध्य वसूली प्रमाण–पत्रों को बिना बंधक पत्रों की प्रतियों तथा सम्पत्तियों तथा जमानतदारों के पूर्ण विवरण के भेजे गये। इन वसूली प्रमाण–पत्रों को बिना वसूली के सम्बन्धित तहसीलों द्वारा इस आधार पर वापस कर दिया गया कि बाकीदार का अता पता नही है अथवा उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। दृष्टान्त के रूप में इनमें से 2 करोड़ रूपये तथा उससे ऊपर के 13 मामलों को नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	जनपदों का नाम	बकाएदारों के नाम	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लखनऊ	श्री सैयद इन्तियाज हुसैन	2.05
2.	लखनऊ	श्री अखिल दयाल	3.54
3.	गाजियाबाद	मे0 इन्टीग्रेटेड अगैनिक लि0 श्री वी0बी0 कुमार जैन	5.06
4.	मेरठ	मेसर्स एम0 एम0 पालिटेकेनिक, मेरठ	2.40
5.	कानपुर नगर	मेसर्स बी0 पी0 एल0 टेक्स्टाइल्स	2.17
6.	कानपुर नगर	मेसर्स मधुर आयल प्राइवेट लि0	2.01

1 कानपुर नगर, गाजियाबाद, देहरादून, बाँदा, आगरा, वाराणसी, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, फतेहपुर, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ, भदोही, सीतापुर, रामपुर, बरेली, गोरखपुर, रायबेरीली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद।

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	कानपुर नगर	मेसस्र काशीराम पन्नालाल	3.24
8.	कानपुर नगर	मेसर्स एलायन्स इनआर्गेनिक्स लि0	3.67
9.	कानपुर नगर	मेसर्स आलोक फाउन्ड्री इक्विपमेन्ट प्रा0लि0	2.84
10	कानपुर नगर	मेसर्स अनुराधा अल्ट्रामेरिन एण्ड पिगमेन्ट	2.46
11.	कानपुर नगर	मेसर्स राजेन्द्रास स्टील लि0 पान्डु नगर	4.24
12.	कानपुर नगर	मेसर्स क्रियेटिव इण्डस्ट्रियल प्रा0 लि0	2.20
13.	कानपुर नगर	उमानाथ इण्डस्ट्रियल पार्टनर्स	8.96

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (जुलाई 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य) कि भविष्य में ऐसे वसूली प्रमाण–पत्र वसूली हेतु स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6.2.7 वसूली प्रमाण–पत्रों का त्रुटिपूर्ण लेखा

जिलाधिकारी द्वारा आदेशित वसूली प्रमाण–पत्रों की माँग को भू–राजस्व की भाँति वसूली हेतु बकाया मान लेने के बाद विविध देय पंजी जो उप शीर्षक में अलग–अलग तहसील/जिलाधिकारी के कार्यक्षेत्र में दर्ज की जाती है इन्हें एक क्रम संख्या (आर0आर0सी0क्रमांक) आवंटित की जाती है तथा वसूली हेतु तहसील को भेजी जाती है।

5[1] जनपदों में यह देखा गया कि जिलाधिकारियों तथा तहसीलदारों द्वारा प्रेषित सूचनाओं में जिलाधिकारियों द्वारा भेजी गयी माँग तथा तहसीलदारों द्वारा प्राप्ति माँग के लेखों में बहुत बड़ा अन्तर था:

(करोड़ रूपये में)

	मामलों की संख्या	निहित धनराशि
जिलाधिकारियों के अभिलेखों के अनुसार माँग	5789	55.22
तहसीलदारों के अभिलेखों के अनुसार माँग	4973	29.38
अन्तर	816	25.84

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 816 वसूली प्रमाण–पत्रों में निहित धनराशि 25.84 करोड़ रूपये जिलाधिकारियों द्वारा तहसीलदारों को भेजा गया परन्तु तहसीलदारों द्वारा इसे अपने लेखों में न लिये जाने से इस बकाए की वसूली नहीं की गयी।

6.2.8 अन्य जिलाधिकारियों को भेजे गये वसूली प्रमाण–पत्रों पर कार्यवाही की कमी

18[2] जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि जिलाधिकारियों द्वारा अन्य जिलाधिकारियों को भेजे गये वसूली प्रमाण–पत्रों पर कोई भी

1 कानपुर देहात, गाजियाबाद, हरदोई, मुजफ्फरनगर, मेरठ।

2 कानपुर नगर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, बाँदा, आगरा, वाराणसी, जौनपुर, हरदोई, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, फतेहपुर, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ, भदोही, सीतापुर, रायबरेली।

कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के मध्य दूसरे जिलाधिकारियों को भेजे गये 875 वसूली के प्रमाण–पत्रों में निहित धनराशि 287.10 करोड़ रुपये अब भी बकाया पड़ा रहा। यहाँ तक कि उन मामलों में उसकी वसूली हेतु कोई अनुस्मारक भी नहीं भेजे गये अग्रेतर बाहर से आये वसूली प्रमाण–पत्रों को अभिलिखित किये जाने हेतु कानपुर देहात तथा मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालयों में किसी भी रजिस्टर का रख–रखाव न किये जाने के कारण इनमें निहित धनराशि की वसूली हेतु कोई निगरानी नहीं की जा सकी।

6.2.9 वसूली प्रमाण–पत्रों की वापसी

उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 के प्रावधान, के अन्तर्गत, यदि बाकीदार का कोई अता पता न हो अथवा उसके पास कोई सम्पत्ति न हो तो ऐसी धनराशि जिसकी वसूली भू–राजस्व की भाँति की जानी है, उस व्यक्ति पर जो बाकीदार का जमानतदार होगा, पर भी लागू होगें।

18[1] तहसीलों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि 343 वसूली प्रमाण–पत्र जिनमें 112.11 करोड़ रुपये की धनराशि निहित थी वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के मध्य जमानतदारों से वसूली की कार्यवाही शुरू किये बगैर तहसीलदारों द्वारा वापस कर दिये गये।

6.2.10 उत्पीड़न प्रकिया

उत्तर प्रदेश संग्रह मैनुअल के प्रस्तर 2.2.8 और 2.2.9 में भू–राजस्व की भाँति वसूलनीय देयों के लिये उत्पीड़न प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है जिसमें अंकित मामलों पर निगरानी हेतु प्रपत्र 75 में रखे गये रजिस्टर द्वारा किया जाता है।

30[2] तहसीलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान उत्पीड़न रजिस्टर न बनाये जाने के कारण तहसीलदारों द्वारा अपनायी गयी उत्पीड़न कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप वसूली के मामलों पर प्रभावी ढंग से परिवीक्षण नहीं हो पाया।

6.2.11 बिना कार्यवाही के लम्बित वसूली प्रमाण–पत्र

30 तहसीलों के बकाया वसूली प्रमाण–पत्रों की नमूना जाँच में देखा गया कि 42.19 करोड़ रुपये के 6147 मामले जो पाँच वर्ष पूर्व से प्राप्त हुए थे। तथा 82.22 करोड़ रुपये के 2668 मामले जो दो वर्ष से अधिक और पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्त हुए थे, वसूली हेतु अभी भी लम्बित थे। विभाग द्वारा देयों की वसूली न किये जाने के कारणों को नही बताया गया।

---

1 कानपुर नगर, गाजियाबाद, बाँदा, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, फतेहपुर, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ, भदोही, रामपुर, प्रतापगढ़।

2 कानपुर नगर, अकबरपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, देहरादून, मिर्जापुर, बाँदा, औराई, आगरा, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, फतेहपुर, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ, भदोही, सीतापुर, रामपुर, बरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, इलाहाबाद।

6.2.12 वसूली का निष्पादन न किया जाना

नमूना जाँच में पाया गया कि 157 वसूली प्रमाण–पत्र दो वर्ष से आठ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी जिले के जिलाधिकारियों द्वारा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसमें 56.11 करोड़ रुपये सिर्फ मोदी ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है। इसके परिणामस्वरूप 65.07 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की जा सकी जिसका विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम/जिलाधिकारी/ वसूली प्रमाण–पत्र जारी कर्ता विभाग	वसूली प्रमाण–पत्र की संख्या	प्राप्ति का वर्ष	वसूली हेतु बकाये की धनराशि
1.	गाजियाबाद/ उत्तर प्रदेश एस0ई0बी0	42	1992 तथा 1998 के मध्य	13.75
2.	तदैव	32	1995 तथा 1998 के मध्य	17.07
3.	तदैव	81	1993 तथा 1999 के मध्य	23.09
4.	तदैव	अप्राप्त	1992 से 1999 के मध्य	2.20
5.	गाजियाबाद/ ए0डी0एम0 भूमि अध्याप्ति)	1	1996	7.84
6.	फतेहपुर यू0 पी0 एस0 ई0 बी0	1	.....	1.12
	योग	**157**		**65.07**

6.2.13 अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना

प्रथमतया राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने के बाद दैनिकी (डायरी) में अंकित किया जाता है तथा जिलाधिकारी द्वारा जाँच की जाती है जो प्रमाण–पत्र वसूली हेतु उपयुक्त पाये जाते हैं उन्हें अपने जनपदों में वसूली हेतु फार्म 67-ए तथा अन्य जनपदों से सम्बन्धित फार्म 67 (विविध देय पंजी) में बने रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा सम्बन्धित तहसीलदारों को भेज दिया जाता है तहसीलदार इन्हें उन्हीं फार्मो में बने पंजी में दर्ज करा के वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं।

30 जिलों की विविध देय पंजी के नमूना जाँच में देखा गया कि विविध देय पंजी जो कि वसूली की निगरानी रखने हेतु एक मुख्य अभिलेख है, का रख–रखाव उत्तर प्रदेश वसूली अधिनियम द्वारा निर्धारित फार्म 67 तथा 67-ए में लगभग सभी जिलों तथा तहसीलों में नहीं किया गया था। इन पंजियों में तहसीलों के अनुसार मासिक सार/गोसवारा भी नहीं तैयार नही किये गये थे। जिसके कारण माँग की धनराशि, वसूली, वापसी तथा अवशेष जैसा कि तहसीलों द्वारा प्रेषित विवरण में दर्शाया जाता है, कि परिशुद्धता सुनिश्चित करना सम्भव नही है। लगभग सभी जिलों तथा तहसीलों में डायरी का रख–रखाव नहीं किया गया था।

उपरोक्त बिन्दुओं को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2001); उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

6.3 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 तथा समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार राजस्व अधिकारी, किसी निगम या परिषद् या बैंकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाण–पत्र के प्राप्त होने पर, उसमें उल्लिखित धनराशि एवं कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) सहित, भू–राजस्व के बकाए की भाँति वसूल करने की कार्यवाही करेगें। संग्रहीत किये गये /किये जाने वाले देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह व्यय राजस्व अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित ऋण दाता से वसूल किया जाता है।

7[1] तहसील कार्यालयों तथा एक भू–राजस्व संग्रह कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1999 एवं मई 2000 के मध्य) कि 10.73 लाख रुपये के 200 मामलों में, जिसमें धनराशि सम्बन्धित निकायों के पास या तो सीधे जमा कर दी गई थी अथवा उनके द्वारा वसूली प्रमाण–पत्र वापस माँग लिये गये थे, संग्रह व्यय वसूल नहीं किया गया।

मामला विभाग/ शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2000 एवं अगस्त 2000 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

1 तहसीलदार – प्रतापगढ़, नौतनवा, कासगंज, बाराबंकी, बागपत, मेरठ, तमकुहीराज तथा भू–राजस्व अधिकारी देवरिया।

अध्याय – 7 : अन्य कर प्राप्तियाँ

(क) विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान लेखापरीक्षा में सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा), दुर्ग अभियन्ताओं, एम0ई0 एस0 आदि एवं विभिन्न रेलवे के खण्डीय अभियन्ताओं के लेखों की नमूना जाँच से 48 मामलों में 3.17 करोड़ रुपये के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	29	74.29
2.	निरीक्षण फीस का अनारोपण	5	4.80
3.	अन्य अनियमितताएँ	14	238.00
	योग	**48**	**317.09**

उदाहरण स्वरूप एक मामला जिसमें 9.36 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित हैं निम्नलिखित प्रस्तर में दिया गया है।

7.2 विद्युत शुल्क का न/कम आरोपण किया जाना

राज्य में नियुक्त प्राधिकारी विद्युत शुल्क आरोपित किये जाने हेतु मुक्त है। जैसा कि शासन ने यह स्पष्ट किया था (अगस्त 1995) कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैन्य अधिकारियों को प्रभार मुक्त या रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा के संबंध में उपयुक्त ऊर्जा की प्रभारित दर अन्य उपभोक्ताओं पर लागू पूर्ण दर को माना जायेगा यद्यपि सामान्य दर एवं रियायती दर के बीच का अन्तर रक्षा विभाग द्वारा वहन किया जा रहा था। अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 1997 द्वारा 9 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क निर्धारित किया गया। रक्षा विभाग के समस्त नियुक्त प्राधिकारियों को निदेशक (विद्युत शुल्क) ने भी यह निर्देश जारी किया (सितम्बर 1995) कि प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा के ऐसे सभी मामलों में विद्युत शुल्क वसूल किया जाय।

नियुक्त प्राधिकारियों (दुर्ग अभियन्ता एम0ई0एस0), आगरा, कानपुर, कैन्ट देहरादून तथा प्रबन्धक आयुध कारखाना (कानपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 2000 एवं सितम्बर 2000 के मध्य) कि जनवरी 1998 एवं जून 2000 के मध्य रक्षा कर्मियों को घरेलू उपयोग के लिये प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर 104.04 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति पर रुपया 9.36 लाख विद्युत शुल्क आरोपणीय था जिसमें से 3.23 लाख रुपये कानपुर के एक मामले में वसूल किया

गया। परिणामस्वरूप 6.13 लाख रुपये न/कम आरोपण किया गया इसके अतिरिक्त न भुगतान किये गये विद्युत शुल्क पर ब्याज भी देय था।

उक्त मामले विभाग तथा शासन को मार्च 2001 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

(ख) मनोरंजन कर तथा बाजीकर

7.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

मनोरंजन कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों की वर्ष 2000–2001 की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों के नमूना जाँच में देखा गया कि 71 मामलों में 26.44 करोड़ रुपये के कर/फीस का न/कम आरोपण किया गया जो मौटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	मनोरंजन कर/ लाइसेन्स फीस का अनारोपण/ या वसूली न किया जाना	16	12.20
2.	अन्य अनियमितताएँ	54	108.25
3.	आमोद कर निर्धारण एवं संग्रह पर समीक्षा	1	2524.00
	योग	**71**	**2644.45**

लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2000–2001 के दौरान इंगित 14 मामलों में 18.24 लाख रुपये कर कम लगाया जाना आदि विभाग ने स्वीकार किया है इसमें 1.21 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है।

एक समीक्षा जिसमें 25.24 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित है अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है:

7.4 आमोद कर का निर्धारण एवं संग्रह पर समीक्षा

7.4.1 प्रस्तावना

आमोद कर का आरोपण एवं संग्रह उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के प्रावधानों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। यह आमोद के किसी भी प्रवेश के लिये किये जाने वाले भुगतान पर समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आरोपित किया जाता है।

यह अधिनियम राज्य सरकार को किसी भी मनोरंजन या मनोरंजन के वर्ग को शान्ति के प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव, कला, खेल या अन्य जनहित में कर के भुगतान के दायित्व से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। जिले के जिलाधिकारी को भी उन मनोरंजनों को कर की देयता से

मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है जिसकी सकल आय लोकोपकार, धार्मिक या परोपकारी कार्यो के लिये समर्पित है।

7.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

आमोद कर के आरोपण एवं संग्रह का पूर्ण नियंत्रण एवं दायित्व, आयुक्त मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश लखनऊ पर है जिसे अपर आयुक्त, उपायुक्तों सहायक मनोरंजन कर आयुक्त एवं मनोरंजन कर अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नियंत्रक अधिकारी होता है जो आमोद के कार्यान्वयन एवं आमोद कर के आरोपण एवं संग्रह पर सहायक आयुक्त मनोरंजन कर या जिला मनोरंजन कर अधिकारी, जिनकी सहायता मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा की जाती है, के माध्यम से अपना नियंत्रण रखता है।

7.4.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

आमोद के विभिन्न श्रोतों से प्राप्त आमोद कर के निर्धारण एवं वसूली की कार्यक्षमता के मूल्यांकन के उद्देश्य से तथा अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों का सही रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए माह जुलाई 2000 से मार्च 2001 की अवधि में जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के 80 कार्यालयों में से 27 कार्यालयों का वर्ष 1995–96 से 1999–2000 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

7.4.4 राजस्व का रुझान

वर्ष 1995–96 से 1999–2000 की अवधि में विभिन्न श्रोतों से राजस्व प्राप्ति की स्थिति निम्नवत थी:

(करोड़ रुपये में)

स्रोतों का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
स्थायी सिनेमा	105.95	110.23	124.22	126.23	127.17
आन्तरिक सिनेमा	0.65	0.78	0.91	1.03	1.00
वीडियो सिनेमा	1.24	1.02	0.90	0.87	0.92
वीडियो लाइब्रेरी	0.24	0.19	0.17	0.22	0.25
वीडियो होटल	0.12	0.19	0.22	0.24	0.28
केबिल टी0वी0	1.72	1.78	3.47	3.76	4.44
फर्श प्रदर्शनों, वीडियो खेल घोड़ा रेस व अन्य	0.99	1.31	4.05	1.32	2.18
योग	**110.91**	**115.50**	**133.94**	**133.67**	**136.24**

यह प्रदर्शित करता है कि आमोद कर का लगभग 95 प्रतिशत स्थायी सिनेमा, आन्तरिक सिनेमा तथा वीडियो सिनेमा से तथा शेष आमोद के अन्य स्रोतों से वसूला गया था।

7.4.5 मुख्य अंश

- अनुरक्षण शुल्क के अस्वीकार्य एवं अप्रयुक्त धनराशि 15.36 करोड़ रुपये का आमोद कर के रूप में वसूली का न किया जाना।

(प्रस्तर 7.4.6)

- स्थायी सिनेमा से फिल्म विकास निधि की 1.98 करोड़ रुपये की धनराशि की वसूली न किये जाने से राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 7.4.7)

- स्थायी सिनेमा के स्थान पर आन्तरिक/चल सिनेमा के रूप में कर निर्धारण के कारण 2.61 करोड़ रुपये का आमोद कर कम आरोपित होना।

{प्रस्तर 7.4.9 (क)}

- वीडियो सिनेमा से 1.16 करोड़ रुपये का कम आमोद कर लिया जाना।

{प्रस्तर 7.4.9(ख)}

- वीडियो होटलो से अनुज्ञापन शुल्क, अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क न लिये जाने से 1.92 करोड़ रुपये आमोद कर का कम वसूला जाना।

(प्रस्तर 7.4.10)

7.4.6 अनुरक्षण शुल्क की अस्वीकार्य एवं अप्रयुक्त धनराशि का आमोद कर के रूप में वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 3–ए की उप धारा (1) के अन्तर्गत छविगृह स्वामी (जिन्हें अनुदान नहीं प्राप्त हैं) किसी आमोद में प्रवेश के लिये भुगतान करने वाले व्यक्ति से 1.50 रुपये (1 रुपया, 25 जनवरी 2000 के पूर्व) अतिरिक्त शुल्क वसूल करने के लिये अधिकृत है, जिसका उपयोग सिनेमा परिसर के अनुरक्षण पर किया जायेगा। यदि इस प्रकार की वसूली गई धनराशि का पूर्ण उपयोग सिनेमा परिसर के अनुरक्षण पर न ही किया गया हो, तो इस प्रकार की धनराशि आमोद में प्रवेश के लिये सम्पूर्ण का अतिरिक्त भुगतान समझा जायेगा तथा उस पर आमोद कर देय होगा।

उक्त, प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त, मनोरंजन कर ने दिनांक 27 दिसम्बर 1996 को निर्गत अपने परिपत्र द्वारा अनुरक्षण शुल्क के लेखों के रख–रखाव व प्रस्तुति हेतु निर्देश निर्गत किया था तथा उसके द्वारा अनुरक्षण शुल्क के व्यय हेतु स्वीकार्य मदों की सूची भी दी गई थी। अन्य मदों पर केवल जिलाधिकारी की अनुमति पर ही व्यय किया जा सकता है। पुनः आयुक्त ने माननीय

उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपने पत्र संख्या 4890 दिनांक 7 जनवरी 1998 द्वारा निर्देश जारी किया था कि अनुरक्षण शुल्क की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को आमोद कर के रूप में जमा कराया जाय।

31 जिलों की लेखा परीक्षा में देखा गया कि छविगृह स्वामियों द्वारा अस्वीकार्य तथा अनाधिकृत मदों पर अनुरक्षण शुल्क बिना जिलाधिकारी के पूर्वानुमति से व्यय किया गया था इस प्रकार उक्त धनराशियाँ आमोद कर के रूप में वसूल किया जाना था। इसी प्रकार से अप्रयुक्त अनुरक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण शुल्क की धनराशि जिनका कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया (अप्रयुक्त धनराशि मानते हुए) आमोद कर के रूप में वसूली किये जाने योग्य था लेकिन विभाग द्वारा कोई समुचित कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप आमोद कर के रूप में 15.36 करोड़ रुपये की क्षति हुयी जिसका विवरण अनुलग्नक 'क' में उल्लिखित है।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर 1999 के अनुसार छविगृह स्वामियों द्वारा केवल वार्षिक लेखा, अधिकृत लेखाकार द्वारा सत्यापित करा कर प्रेषित किया जाना चाहिए था। जबकि इससे पूर्व शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 1996 के अनुसार तिमाही लेखे ही प्रस्तुत करने थे और किसी सिनेमा के अनुरक्षण में अनियमितता पाये जाने पर अनुरक्षण शुल्क की वसूली के बजाय अनुज्ञा पत्र नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश ही अधिनियम तथा न्यायिक फैसले के विपरीत है।

7.4.7 फिल्म विकास निधि की धनराशि की वसूली न करने से राजस्व क्षति

राज्य में फिल्म के विकास के लिये 5 नवम्बर 1999 से नई धारा 3(बी) तथा 3(सी) निविष्ट कर एक फिल्म विकास निधि का सृजन किया गया था और जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि छविगृह स्वामियों द्वारा आमोद में प्रवेश करने वाले प्रत्येक दर्शक से 50 पैसा अतिरिक्त धनराशि की वसूली की जायेगी और इस प्रकार वसूली गई धनराशि को अलग से कोषागार में जमा किया जाना था।

57 मनोरंजन कर अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि फिल्म विकास निधि की वसूली 8 फरवरी 2000 जो कि आयुक्त के आदेश निर्गत करने की तिथि थी के पश्चात प्रारम्भ की गयी जिसके परिणामस्वरूप 57 जनपदों[1] में 1.98 करोड़ रुपये की क्षति हुयी।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर शासन ने दिनांक 7 मार्च 2001 को फिल्म विकास निधि की धनराशि को 10 किस्तो में वसूलने हेतु एक आदेश जारी किया।

---

1 कानपुर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, विजनौर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, वाराणसी, देवरिया, आजमगढ़ मऊ, इलाहाबाद, झाँसी, गाजियाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, बहराइच, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, नैनीताल, मथुरा, बदायूँ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर, प्रतापगढ़ ,हमीरपुर, कानपुर देहात, ललितपुर,बाँदा, चित्रकूट, सन्त कबीर नगर, हाथरस, कौशाम्बी, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर।

7.4.8 स्थायी छविगृह स्वामियों द्वारा कम प्रतिभूति जमा किया जाना

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत छविगृहों के प्रत्येक स्वामी द्वारा आमोद प्रारम्भ करने से पूर्व प्रतिभूति की राशि जमा किया जाना अपेक्षित है जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि आमोद गृह के कुल बैठने की क्षमता के अनुसार 8 दिनों के कुल प्रदर्शनों से प्राप्त मनोरंजन कर से अधिक नहीं होगी तथा यह उक्त राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इस प्रकार की प्रतिभूति राजस्व क्षति से सुरक्षा के लिये वसूल की जाती है तथा यह कर जमा करने की विफलता की स्थिति में प्रतिभूति से वसूलनीय एवं समायोजनीय है जिसकी प्रतिपूर्त अगले सप्ताह का कर देय होने से पूर्व कराया जाता है।

26 मोरंजन कर अधिकारियों[1] के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि छविगृह स्वामियों द्वारा वांछित न्यूनतम धनराशि के विरुद्ध बहुत ही कम प्रतिभूति की धनराशि जमा की गई थी। इन जनपदों के 510 छविगृह स्वामियों द्वारा वांछित न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपये के विपरीत केवल 0.68 करोड़ रूपये जमा की गई थी। इस प्रकार 1.82 करोड़ रूपये की प्रतिभूति कम जमा की गई थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर बताया गया कि अधिकतर मामलों में प्रतिभूति की धनराशि का आगणन प्रारम्भिक लाइसेन्स प्रदान करते समय उस समय के दर व छविगृहों के बैठने की क्षमता के आधार पर किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइसेन्स के नवीनीकरण के समय प्रतिभूति की राशि संशोधित किया जाना चाहिए था।

7.4.9 आमोद कर का कम वसूली किया जाना

(अ) अन्तर्वर्ती/ चल सिनेमा से

उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफ नियम 1951 के नियम 27 के अन्तर्गत अन्तर्वर्ती सिनेमा/चल सिनेमा को प्रारम्भ में एक स्थान पर छः माह के लिए सिनेमा प्रदर्शन के लिए लाइसेन्स प्रदान किया जा सकता है जो पुनः केवल छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी अन्तर्वर्ती/ चल सिनेमा को उसी स्थान पर एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये 6 माह की अवधि समाप्त हुए बिना लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

मनोरंजन कर अधिकारियों के कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि छः माह की अन्तराल अवधि के बिना एक वर्ष की अवधि के बाद भी चल छविगृहों को एक ही स्थान पर भिन्न नामों से लाइसेन्स स्वीकृत किया गया था। अतः इस प्रकार के चल छविगृह स्थायी छविगृह की भांति प्रतिशत के आधार पर कर देयता के उत्तरदायी थे। कर सम्मत पद्धति से प्रति सप्ताह

1 कानपुर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, वाराणसी, देवरिया, मऊ, इलाहाबाद, झाँसी, गाजियाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, फर्रुखाबाद, फिरोज़ाबाद, गोरखपुर, बहराइच, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर।

कर की गणना करने पर अनुलग्नक 'ख' के विवरणानुसार 2.61 करोड़ रूपये आमोद कर कम लिया गया था।

उत्तर में यह बताया गया कि लाइसेन्स भिन्न व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये थे और कर स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर आगणित किया गया था। उत्तर मान्य नही था क्योंकि लाइसेन्स बिना छः माह के अन्तराल के तथा एक ही स्थान के लिए स्वीकृत किए गए थे।

(ब) वीडियो सिनेमा से

उत्तर प्रदेश (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का नियमन) नियामावली 1988 के नियम 2 की परिभाषा के अनुसार दो प्रकार के वीडियो सिनेमा होते हैं (अ) चल वीडियो सिनेमा जो अस्थाई भवन में प्रदर्शन करते हैं और (ब) वीडियो सिनेमा जिनको स्थायी भवन में प्रदर्शन के लिए लाइसेन्स दिये गये है। नियम 15(2) के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी चल सिनेमा को प्रारम्भ में छः माह के लिए लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता हैं जो पुनः केवल छः माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के वीडियो सिनेमा केवल अस्थायी भवन में संचालित हो सकते है और उन्हें प्रति सप्ताह एक हजार रूपया आमोद कर देय होगा। जबकि ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में जहां कोई स्थाई सिनेमा न हो, स्थाई भवनों में स्थित वीडियो सिनेमा, रूपया 2500 प्रति सप्ताह की दर से अग्रिम कर के देनदार हैं।

18 जिलों[1] के वीडियो सिनेमा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 48 वीडियो सिनेमा के स्वामी एक ही स्थान पर विभिन्न नामों से एक वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थाई भवन में प्रदर्शन दिखा रहे थे। अतः वे रूपये 2500 प्रति सप्ताह की दर से कर देने के देनदार थे। जबकि वे रूपये 1000 प्रति सप्ताह की दर से ही कर दे रहे थे। इसके परिणामस्वरूप 1.16 करोड़ रूपये आमोद कर कम लिया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिकांश मामलों में यह बताया गया कि लाइसेन्स चल वीडियो के लिए स्वीकृत किये गये थे और तद्नुसार कर संग्रहीत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि ये वीडियो सिनेमा लगातार एक ही स्थान पर एक वर्ष से अधिक समय से स्थायी भवन में संचालित रहे हैं। अतः वे रूपये 2500 प्रति सप्ताह की दर से कर के देनदार थे।

7.4.10 लाइसेन्स शुल्क, अतिरिक्त लाइसेन्स शुल्क एवं आमोद कर का न/कम वसूल किया जाना।

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के धारा–2 (ई0ई0) एवं 2 (एल0एल0एल0) के अन्तर्गत दिनांक 27 अप्रैल 1995 से केबिल टी0वी0 नेटवर्क पर वीडियो कैसेट प्लेयर (वी0सी0पी0)/ वीडियो कैसेट रिकार्डर (वी0सी0आर0) के माध्यम से फिल्मों नाटकों धारावाहिकों एवं विज्ञापनों का प्रदर्शन भी अनुमन्य कर दिया गया था। इसलिये होटल के कमरों में केबिल

1 कानपुर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गाजियाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, बहराइच, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर ।

नेटवर्क के प्रदर्शन पर भी वीडियो होटल के सम्बन्ध में दी गई दरों के समान दरों पर ही मनोरंजन कर, लाइसेन्स शुल्क एवं अतिरिक्त लाइसेन्स शुल्क आरोपणीय था।

14 जिलों के मनोरंजन कर अधिकारियों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 128 होटलों से, वीडियो होटलों के लिये लागू दर के बजाय आमोद कर केबिल टी0वी0 कनेक्सनों हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लागू सामान्य दर से वसूल किया गया था इसके परिणामस्वरूप लाइसेन्स शुल्क, अतिरिक्त लाइसेन्स शुल्क एवं आमोद कर रुपये 1.92 करोड़ न/कम वसूल किये गये जिसका विवरण अनुलग्नक'ग' में है।

7.4.11 केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा मनोरंजन कर का अनाधिकृत प्रतिधारण

उत्तर प्रदेश केबिल टी0वी0 नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 के अन्तर्गत केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों से संग्रहीत राशि पर देय मनोरंजन कर माह के अन्तिम दिन के एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा करना होता है जिसमें विफल रहने पर भुगतान न की गई कर की राशि पर विलम्ब की अवधि हेतु 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से, साधारण ब्याज भी देय है। मनोरंजन कर के अनाधिकृत रूप से रखने के मामले में केबिल टी0बी0 संचालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान हैं। उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार मनोरंजन कर की बकाया राशि भू–राजस्व के बकाए की भाँति वसूल की जानी है।

7 जिलों[1] के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 38.77 लाख रूपये के मनोरंजन कर की वसूली केबिल टी0बी0 संचालकों से लम्बित थी (मार्च 2001) इसकी वसूली हेतु न तो वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे और न ही कोई अन्य प्रभावी कदम उठाये गये थे। चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही भी नहीं की गई थी।

7.4.12 केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा निर्धारित प्रकिया का अनुपालन न किया जाना

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीवीजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत केबिल टी0वी0 संचालकों को अपने ग्राहकों के पंजीकरण कार्ड प्रपत्र–3 में (तीन प्रतियों में) तैयार करना है और इस कार्ड की प्रथम प्रति सम्बन्धित उपभोक्ता को, द्वितीय प्रति मनोरंजन कर अधिकारी, को देना होता है तथा तीसरी प्रति स्वयं अपने पास रखना है। उनको प्रत्येक कलेण्डर माह के लिये प्रपत्र–4 में एक रजिस्टर भी रखना होता है। इन दोनों अभिलेखों में ग्राहकों को कनेक्सन का विवरण एवं उनसे वसूल की गयी शुल्क की धनराशि का विवरण दर्शाया जाता है। केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा दिये जाने वाले मासिक मनोरंजन कर की राशि की गणना (प्रपत्र 5 पर) इन अभिलेखों में दिये गये विवरण के आधार पर की जाती है।

अग्रेतर उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 30 एवं 30 क के प्रावधानों के

1 आगरा, शाहजहाँपुर, झाँसी, देवरिया, लखनऊ, बरेली, मुजफ्फरनगर

अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत किसी आदेशों या निर्देशों का पालन करने में असफल होता है तो प्रथम अपराध के लिये जो रूपये 5000 से अधिक न होगा अर्थदण्ड का भागी होगा। दूसरी बार तथा आगे के अपराधों के लिये 10,000 रूपये के अर्थदण्ड का भागी होगा।

27 जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखा गया कि 15 जनपदों[1] में केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा घोषित संयोजनों (कनेक्सनों) की संख्या एवं वसूल की गयी शुल्क की धनराशि बहुत ही कम दर्शायी गयी थी। यह नेटवर्क केन्द्र संचालन की लागत के लिये भी अपर्याप्त था। केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों का पंजीकरण कार्ड तैयार कर सम्बन्धित मनोरंजन कर अधिकारियों को (प्रस्तुत) जमा नहीं किया गया था। प्रपत्र 4 का रजिस्टर भी नहीं तैयार किया गया था तथा प्रपत्र 5 में सत्यापन हेतु मनोरंजन कर अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया गया था इन सबको देखते हुए प्रतीत होता है कि केबिल टी0वी0 संचालकों द्वारा घोषित संयोजनों की संख्या, शुल्क की धनराशि अवास्तविक होने से बड़ी मात्रा में प्रतिमाह मनोरंजन कर का अपवंचन हुआ है।

उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) कि केबिल टी0वी0 संचालकों को अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु निर्देशित किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

1 अलीगढ़, बुलन्दशहर, फैजाबाद, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, झाँसी, जौनपुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर ।

अध्याय–8: वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के अवधि में लेखा परीक्षा में वन विभाग के प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जाँच में 242 मामलो में 96.28 करोड़ रूपये के पट्टा किराया, अर्थदण्ड का अनारोपण/ कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	रियायती दरों पर वनोत्पादनों का आवंटन	6	525.10
2.	रायल्टी का गलत निर्धारण	36	601.30
3.	लीसा विदोहन में अनियमितताएं	22	1225.31
4.	आरा मिलों के पंजीकरण न किये जाने से राजस्व क्षति	6	43.12
5.	स्टाम्प शुल्क के प्रभारित न किये जाने से राजस्व क्षति	1	0.07
6.	अर्थदण्ड का अनारोपण/ कम आरोपण	1	0.05
7.	पट्टा किराये का वसूल न किया जाना	13	2112.83
8.	अन्य अनियमितताएं	157	5119.75
	योग	**242**	**9627.53**

वर्ष 2000–2001 की अवधि में विभाग ने 8.02 लाख रूपये के 2 मामलों को स्वीकार किया।

कुछ मामले जिसमें 4.31 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव निहित हैं, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिया गया हैं।

8.2 टिम्बर के वास्तविक उत्पाद पर रायल्टी की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार (अक्टूबर 1952) तथा मुख्य वन संरक्षक (सी0सी0एफ0) (अक्टूबर 1992) के द्वारा जारी की गयी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार टिम्बर की आवंटित अनुमानित उत्पादन एवं उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) द्वारा निकाले गये वास्तविक उत्पाद में 10 प्रतिशत तक की भिन्नता अनुमन्य है। जहां ऐसी भिन्नता निर्धारित सीमा से अधिक हो वहाँ रायल्टी की माँग को यह सुनिश्चित करने के लिये संशोधित किया जाना चाहिए। जिससे कि विभाग द्वारा निर्धारित टिम्बर के उत्पाद तथा उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा निकाले गये वास्तविक उत्पाद में अधिक भिन्नता न रहे।

प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (नवम्बर 1999) की वर्ष 1998–99 के दौरान प्रकाष्ठ का अनुमानित उत्पाद यू0 पी0 एफ0 सी0 द्वारा निकाले गये प्रकाष्ठ का वास्तविक उत्पाद 42.36 प्रतिशत से 154.92 प्रतिशत अधिक था किन्तु विभाग ने मात्र अनुमानित उत्पादन के आधार पर ही

माँग सृजित किया जिसके कारण 3228.63 घन मीटर प्रकाष्ठ पर 2.48 करोड़ रूपये की वन रायल्टी का निर्धारण एवं वसूली होने से रह गयी।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1999) प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच ने बताया (नवम्बर 1999) कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रभागीय निदेशक रामपुर ने बताया कि मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध एवं कार्ययोजना) द्वारा निर्धारित आयतन गुणक (वाल्यूम फैक्टर) के आधार पर रायल्टी का भुगतान किया गया था, न कि वास्तविक उत्पादन पर। वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आँकलित उत्पाद की गणना सदैव सी0सी0एफ0 फैक्टर के आधार पर की जाती है जिससे आँकलित उत्पाद, जिस पर माँग सृजित की गई है तथा निकाली गयी वास्तविक मात्रा अनुज्ञेय सीमा में अत्यधिक भिन्नता न रहे।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2001)।

8.3 राजस्व की वूसली न किया जाना

उत्तर प्रदेश वन निगम (यू0पी0एफ0सी0) वृक्षों के आवंटन हेतु विश्वसनीय एवं अत्यधिक वास्तविकता वाले आंकलन रखे जाने के उद्देश्य से मुख्य वन संरक्षक (सी0सी0एफ0) (प्रबन्धन) उत्तर प्रदेश नैनीताल द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई थी (जून 1978) जिसके द्वारा यह प्रदत्त किया गया कि जहाँ सी0सी0एफ0 द्वारा कोई वाल्यूम फैक्टर निर्धारित नहीं है वहां वन संरक्षक (सी0एफ0) के अनुमोदन से वृक्षों की कीमत के मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त आंकलन तैयार किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) गोण्डा के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (मार्च 2001) कि 28199 भिन्न आयतन के 20 से0 मी0 से नीचे के (0–10 के 15977 वृक्ष एवं 10–20 से0मी0 ब्यास के 12222 वृक्ष) वृक्षों के लिये जिनका कोई वाल्यूम फैक्टर निर्धारित नही था को उत्तर प्रदेश वन निगम (यू0पी0एफ0सी0) को आवंटित किया गया था तथा उन्हें वर्ष 1999–2000 के दौरान वन विभाग को बिना कोई मूल्य चुकाए पातन करा दिया गया, सी0 एफ0 सरयू क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा निर्धारित दर (मार्च 1998) के आधार पर उन वृक्षों की कीमत 34.37 लाख रूपये थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2001) डी0एफ0ओ0 ने बताया कि सरकार द्वारा 0–10 से0मी0 एवं 10–20 से0मी0 आयतन के टिम्बर (प्रकाष्ठ) हेतु रायल्टी का कोई दर निर्धारित नहीं था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रायल्टी दर का निर्धारण रायल्टी निर्धारण समिति द्वारा आयतन (प्रति घन मीटर)पर निर्धारित था न कि आयतन के नाप पर। पुनः सी0एफ0 द्वारा 20 से0मी0 आयतन के नीचे वाले वृक्षों के लिये दर निर्धारित था। मार्गदर्शिकाओं के प्रावधानों के अनुसार एक अतिरिक्त आंकलन तैयार कर वृक्षों की कीमत की वसूली हेतु माँग सृजित किया जाना अपेक्षित था। विभाग द्वारा इसे समझ पाने की विफलता के कारण 34.37 लाख रूपये की वसूली नहीं की गई।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (अक्टूबर 2001)।

8.4 वृक्षों का अवैध पातन

वृक्षों का अवैध पातन रोकने के उद्देश्य से तथा जिन वृक्षों का सम्बन्धित वनाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार का अवैध पातन हुआ है, से उन वृक्षों की कीमत (मूल्य) की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था (मई 1996)।

बहराइच के वन प्रभागों के अभिलेखों के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ (नवम्बर 2000) कि जून 1995 से जुलाई 1996 की अवधि में 32.55 लाख रूपये की कीमत की चकिया क्षेत्र तथा खरदा क्षेत्र में वृक्षों का अवैध पातन कराया गया। अवैघ रूप से पातन हुए वृक्षों की वास्तविक कीमत आँकने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य, वन सरंक्षक (पी0सी0सी0एफ0) ने वन संरक्षक, भूमि अन्तरण, वन उपयोग परिक्षेत्र लखनऊ को पातन किये गये वृक्षों का मौके पर सत्यापन तथा उनकी वास्तविक कीमत आंकने हेतु निर्देशित किया था। मौके के निरीक्षण के फलस्वरूप (जून एवं जुलाई 1996) पातन हुए वृक्षों की कीमत 130.34 लाख रूपये आँकी गयी थी लेकिन इस धनराशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसे इंगित किये जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया (नवम्बर 2000) कि सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगति पर थी। इस प्रकार वन कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा एवं अवैध वृक्षों के पातन की रपोर्ट की असफलता के कारण 130.34 लाख रूपये की वसूली न की जा सकी। मई 1996 में शासन के आदेश के बावजूद न तो शासकीय राजस्व क्षति की वसूली हुई और न ही पाँच वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी दोषी कर्मचारियें की जिम्मेवारी निश्चित की गई।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2001); उनके उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (अक्टूबर 2001)

8.5 जब्त प्रकाष्ठों का कम पाये जाने के कारण राजस्व की वसूली का न किया जाना

वन अधिनियम के अन्तर्गत वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जब अवैध रूप से पातन किये गये प्रकाष्ठों को अवरुद्ध कर जब्त किया जाता है तो इस प्रकार से जब्त किये गये प्रकाष्ठों का ब्यौरा विभागीय अभिलेखों में दर्ज किया जाता है तथा वन विभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम (यू0पी0एफ0सी0) के माध्यम से इन जब्त प्रकाष्ठों का निस्तारण कराता है।

प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) हल्द्वानी, वन प्रभाग हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (मई 1999) कि प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) द्वारा (अप्रैल 1996 एवं मई 1998 के मध्य) उत्तर प्रदेश वन निगम (यू0पी0एफ0सी) को 396.69 घनमीटर जब्त प्रकाष्ठों का ढेर आवंटित किया गया था जिसके विरुद्ध 276.96 घनमीटर प्रकाष्ठ ही मौके पर प्राप्त हुआ जिसको उत्तर प्रदेश वन निगम (यू0पी0एफ0सी) द्वारा वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में उठाया गया था (अगस्त 1998) अवशेष 119.73 घनमीटर प्रकाष्ठ जिसकी

कीमत 18.94 लाख रूपये थी कम पाया गया। इसके परिणामस्वरूप 18.94 लाख रूपये की राजस्व क्षति हुई।

इसे इंगित किये जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल) ने बताया (जुलाई 2001) कि मामले की छानबीन चल रही है। जाँच के परिणाम का निष्कर्ष प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2001)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

अध्याय–9: अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

अ– सिंचाई विभाग

9.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान लेखा परीक्षा में सिंचाई विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में 23 मामलों में 21.89 करोड़ रूपये की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आतें हैं :

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	नलकूपों के बन्द होने से हानि	1	1.92
2.	सिंचाई प्रभारों की वूसली न किये जाने से हानि	2	87.77
3.	अन्य अनियमितताएँ	20	2099.36
	योग	**23**	**2189.05**

वर्ष 2000–2001 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये गये पिछले वर्षो का, सम्बन्धित विभाग ने एक मामले में 0.69 लाख रुपये की कम वसूली स्वीकार किया।

कुछ मामले जिसमें 17.08 लाख रूपये के वित्तीय प्रभाव निहित हैं, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिया गया है।

9.2 निक्षेप कार्यो पर सेण्टेज प्रभार का अनारोपण

राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 तथा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य के वाणिज्यिक विभागों, स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र के निकायों की ओर से लोकनिर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा संभाले गये सभी वर्गों के निक्षेप कार्यो के सम्बन्ध में, निर्माण पर आने वाले वास्तविक परिव्यय के 15 प्रतिशत की समान दर पर सेण्टेज प्रभार आरोपित करके उन्हें राजकीय खाते में मासिक जमा किया जाना होता है तथापि स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के अभिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के जो कार्य कार्यान्वित होते हैं, उस पर 21 प्रतिशत की दर से सेण्टेज प्रभार आरोपित करने के लिए केन्द्र सरकार सहमत है।

गंगा नहर प्रखण्ड, बुलन्दशहर तथा सिंचाई प्रखण्ड, देहरादून की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जुलाई 1997 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) कि इन प्रखण्डों द्वारा केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों/ स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्रों के लिये वर्ष 1991–92 से 1997–98 के दौरान 81.35 लाख रूपये की लागत पर किये गये निक्षेप कार्यो पर 17.08 लाख रूपये का सेण्टेज प्रभार विभाग द्वारा आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1997 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) विभाग ने बताया कि सत्यापन के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1998 एवं जून 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2001)।

ब–लोक निर्माण विभाग

9.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000–2001 के दौरान लेखा परीक्षा में किये गये लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में 57 मामलों में 6.48 करोड़ रूपये के विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना एवं सेण्टेज प्रभार का न आरोपित किया जाना आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आतें हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	3	11.55
2.	स्टाम्प शुल्क का न/ कम आरोपण	5	3.76
3.	सेण्टेज प्रभारों का न लगाया जाना	4	46.14
4.	खाली ड्रम/ तथा बैग्स की नीलामी न किये जाने से राजस्व क्षति	6	1.64
5.	डाक बंगलों तथा अतिथिगृहों से किराए की वसूली न करना	5	8.06
6.	अन्य अनियमितताएँ	34	576.77
	योग	**57**	**647.92**

वर्ष 2000–2001 के दौरान विभाग ने पूववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 5 मामलों में 1.15 लाख रुपये की कम वसूली स्वीकार की।

6.22 लाख रूपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामलों को अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है।

9.4 निक्षेप कार्यों पर सेण्टेज प्रभार का न/कम लगाया जाना

राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 तथा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य वाणिज्यिक विभागों, स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र के निकायों की ओर से लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा किये गये सभी वर्गो के निक्षेप कार्यो के सम्बन्ध में निर्माण पर आने वाले वास्तविक परिव्यय के 15 प्रतिशत की समान दर पर सेण्टेज प्रभार आरोपित करके उन्हें राजकीय खातों में जमा किया जाना होता है।

लोक निर्माण विभाग के 3 प्रान्तीय प्रखण्डों (रामपुर, उत्तरकाशी तथा सहारनपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 2000 एवं मई 2000 के मध्य) कि 3 प्रखण्डों द्वारा वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान 83.31 लाख रूपये के निक्षेप कार्यो के किये जाने पर 15 प्रतिशत की दर सेण्टेज प्रभार 12.49 लाख रूपये आरोपणीय था जबकि इस सेन्टेज प्रभार के विरूद्ध 6.27 लाख रूपये आरोपित एवं वसूल किया गया। इसके फलस्वरूप 6.22 लाख रूपये सेण्टेज प्रभार के रूप में न आरोपित/ कम आरोपित किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2000 एवं मई 2000 के मध्य) विभाग ने बताया कि सत्यापन के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

स – वित्त विभाग

9.5 दण्डात्मक ब्याज का न लगाया जाना

यदि ऋणी द्वारा शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन ऋणों का ब्याज सहित भुगतान निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं किया जाता तो ऋण की संपूर्ण राशि पर 3.5 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज आरोपणनीय है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिष्द् लखनऊ की नमूना जाँच में देखा गया (जुलाई 2000) कि शासन द्वारा आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ को 8.92 करोड़ रूपये के 3 ऋण नवम्बर 1993 तथा अगस्त 1998 में स्वीकृत किये गये। यह पुनः देखा गया कि परिषद् स्वीकृत आदेश के शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर ऋण एवं ब्याज की अदायगी करने में असफल रहा, फिर भी विभाग द्वारा दण्डात्मक ब्याज लगाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 56.07 लाख रूपये का दण्डात्मक ब्याज नहीं आरोपित किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2000) विभाग ने बताया कि माफी हेतु प्रस्ताव शासन में विचाराधीन था।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2001)।

(सुनील चन्द्र)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) -II
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 10 मार्च 2003

प्रति हस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 20 मार्च 2003

अनुलग्नक–क

कुछ अनुरक्षण शुल्कों पर मनोरंजन कर की वसूली न किये जाने का विवरण

(प्रस्तर 7.4.6 के सन्दर्भ में)

(लाख रूपये में)

जनपद का नाम	अनुरक्षण प्रभार से अस्वीकार्य व्ययों पर मनोरंजन कर		अनुरक्षण प्रभार की अप्रयुक्त राशि पर देय मनोरंजन कर		अनुरक्षण प्रभार के अप्रयुक्त/असत्यापित लेखों पर देय मनोरंजन कर		जनपदवार योग
	वर्ष	धनराशि	वर्ष	धनराशि	वर्ष	धनराशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कानपुर	----		----		1997-98 से 1999-2000	33.87	33.87
अलीगढ़	1995-96 से 1997-98	18.84	1995-96 से 1998-99	7.37	1997-98	25.33	51.54
बुलन्दशहर	1999-2000	2.60	1995-96 से 1996-97	4.67	1995-96 से 1996-97	57.89	65.16
आगरा	1995-96 से 1999-2000	7.88	1995-96 से 1999-2000	15.11	-------		23.00
मेरठ	1998-99 से 1999-2000	6.48	1999-2000	0.03	1995-96 से 1998-99	189.93	196.45
बिजनौर	1998-99 से 1999-2000	3.31	1998-99 से 1999-2000	0.01	------		3.31
शाहजहाँपुर	1995-96 से 1999-2000	8.09	1995-96 से 1999-2000	1.23	------		9.32
फैजाबाद	1995-96 से 1996-97	1.67	1995-96	0.05	-----		1.72
वाराणसी	1997-98 से 1999-2000	12.74	1997-98 से 1998-99	0.21	1997-98	2.34	12.95 2.34
देवरिया	1997-98 से 1999-2000	2.96	-------		1996-97 से 1998-99	70.61	73.56
आजमगढ़	1999-2000	1.39	1999-2000	0.01	-----		1.40
मऊ	-------		--------		1995-96 से 1999-2000	108.40	108.40
इलाहाबाद	1996-97 से 1999-2000	6.60	1998-99	1.62	--------		6.60 1.62
झांसी	1999-2000	5.33	1999-2000	0.77	--------		6.10
गाजियाबाद	1999-2000	5.02	--------		1995-96 से 1998-99	187.77	192.80
मैनपुरी	1999-2000	0.03	--------		1995-96 से 1996-97	21.53	21.56
जौनपुर	1998-99 से 1999-2000	2.59	1998-99 से 1999-2000	0.06	1997-98 से 1998-99	24.71	27.35
फर्रुखाबाद	-------	-------	--------		1995-96 से 1998-99	83.13	83.13

(लाख रूपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
फिरोजाबाद	1995-96 से 1999-2000	27.20	1995-96 से 1999-2000	1.58	----------		28.78
गोरखपुर	1997-98 से 1999-2000	8.67	1997-98 से 1999-2000	1.54	----------		10.20
बहराइच	----------		----------		1999-2000	16.29	16.29
लखनऊ	1996-97 से 1999-2000	16.78	1997-98 से 1999-2000	0.55	1995-96 से 1998-99	379.00	396.33
बरेली	1999-2000	2.32	-------	-------	----------		2.32
पीलीभीत	1998-99	1.10	---------	-------	1995-96 से 1997-98	62.21	63.31
मुजफ्फरनगर	1995-96 से 1999-2000	17.54	1995-96 से 1997-98	0.58	1995-96	53.18	71.30
गाजीपुर	-----		-------		1998-99	1.70	1.70
ज्योति बा फूले नगर	--------		-------		1999-2000	9.67	9.67
महोबा	------		--------		1997-98	6.40	6.40
देहरादून	------		--------		1999-2000	3.65	3.65
गोण्डा	1998-99	0.18	------		1998-99	0.47	0.65
बदायूँ	--------		-------		1998-99 से 1999-2000	3.05	3.05
योग		**159.32**		**35.39**		**1341.03**	**1535.83** **रु. 15.36 करोड़**

अनुलग्नक–ख

स्थाई सिनेमा के स्थान पर अन्तर्वर्ती/चल चिनेमा के रूप में मनोरंजन कर का निर्धारण किये जाने से कम वसूली का विवरण

(प्रस्तर 7.4.9 (अ) के सन्दर्भ में)

जनपद का नाम	सिनेमा का स्थान	प्रदर्शन की अवधि (सप्ताह में)	प्रति सप्ताह भुगतान किया गया मनोरंजन कर	कर सम्मत आधार पर देय साप्ताहिक मनोरंजन कर	प्रति सप्ताह कम भुगतान किया गया कर	कम वसूल किया गया कुल मनोरंजन कर	कम वसूल किये गये कर की जनपदवार धनराशि
			(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(लाख रुपये में)	
शाहजहाँपुर	निगोही	78	1500	12880	11380	8.88	8.88
फैजाबाद	अ–रामपुर मगन	135	1500	7280	5780	7.80	
	ब– बीकापुर						
		190	3000	20160	17160	32.60	40.40
आजमगढ़	अ–डुमरियागंज	104	1500	11760	10260		
		78	1500	13440	11940	19.98	
	ब– नरियांन	78	1500	13720	12220	9.63	
		156	1500	11760	10260		
	स–महराजगंज	52	1500	15680	14180	23.38	
	द–ठेकमा	177	1500	8400	6900	12.21	65.20
झाँसी	गुरूसरांय	85	3000	5040	2040	1.73	
		52	3000	8400	5400	2.81	
		52	3000	11760	8760	4.56	
		66	3000	13440	10440	6.89	15.99
जौनपुर	बदलापुर	230	1500	7840	6340	14.58	14.58
फर्रुखाबाद	मोहम्दाबाद	130	3000	4200	1200	1.56	
		26	3000	5040	2040	0.53	
		39	3000	6300	3300	1.29	
		29	3000	3150	150	0.04	3.42
फिरोजाबाद	जसराना	130	1500	12600	11100	14.43	14.43
बहराइच	चकरिया	91	1500	12810	11310	10.29	10.29
लखनऊ	गोसाईगंज	184	1500	8960	7460	13.73	
	काकोरी	156	3000	10080	7080	11.04	
		52	3000	11760	8760	4.56	
		52	3000	13440	10440	5.43	34.76
बरेली	देवचारा	52	1500	9800	8300	4.32	
		52	1500	11760	10260	5.34	
		26	1500	15680	14180	3.69	13.35

जनपद का नाम	सिनेमा का स्थान	प्रदर्शन की अवधि (सप्ताह में)	प्रति सप्ताह भुगतान किया गया मनोरंजन कर	कर सम्मत आधार पर देय साप्ताहिक मनोरंजन कर	प्रति सप्ताह कम भुगतान किया गया कर	कम वसूल किया गया कुल मनोरंजन कर	कम वसूल किये गये कर की जनपदवार धनराशि
			(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(लाख रुपये में)	
मुरादाबाद	पिपलसाना	142	1500	6300	4800	6.82	
	कुदरकी	225	3000	7560	4560	10.26	
	अगवानपुर	116	1500	6300	4800	5.57	
	पकवारा	208	3000	7560	4560	9.48	
	भोजपुर	156	3000	7560	4560	7.11	39.24
योग							**260.54**
							रु0 **2.61** करोड़

अनुलग्नक–ग

होटलों से अनुज्ञापन शुल्क, अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क एवं मनोरंजन कर का निम्न दर पर वसूल किये जाने का विवरण

(प्रस्तर 7.4.10 के सन्दर्भ में)

(लाख रूपये में)

जनपद का नाम	वीडियों / केबिल होटलों की संख्या	अनुज्ञापन शुल्क की न वसूल की गई धनराशि	अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क की न वसूल की गई धनराशि	मनोरंजन कर की कम वसूल की गई धनराशि	जनपद वार योग
कानपुर	13	0.73	1.64	25.55	27.92
बुलन्दशहर	01	0.02	0.01	0.00	0.03
आगरा	19	0.98	2.87	49.55	53.41
मेरठ	14	0.17	0.10	0.59	0.86
बिजनौर	02	0.09	0.06	0.00	0.16
शाहजहाँपुर	01	0.06	0.18	2.95	3.18
फैजाबाद	03	0.14	0.18	2.14	2.46
वाराणसी	15	0.90	0.00	16.85	17.75
इलाहाबाद	16	0.84	1.64	28.63	31.12
झाँसी	08	0.46	0.57	11.98	13.01
गोरखपुर	04	0.24	0.27	5.03	5.54
लखनऊ	26	1.04	1.75	28.59	31.38
बरेली	03	0.04	0.04	0.65	0.73
मुजफ्फरनगर	03	0.17	0.24	4.22	4.63
योग	**128**	**5.88**	**9.55**	**176.73**	**192.18** **रु0 1.92 करोड़**

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं0	अनुच्छेद सं0	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	1.1,पद टिप्पणी 2	2 व 3	0021-निगमकर से भिन्न आय	0020-निगमकर, 0021-निगमकर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय व व्यय पर अन्य कर, 0032-धनकर, 0037-सीमाकर, 0038-केन्द्रिय उत्पाद कर, 0044-सेवा कर व 0045-सामग्री व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क